[1995]2 उम॰ नि॰ प॰ 242

संजय दत्त

बनाम

राज्य केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुम्बई के माध्यम से

9 सितम्बर, 1994

न्यायमूर्ति ए॰ एम॰ अहमदी, न्यायमूर्ति जे॰ एस॰ वर्मा, न्यायमूर्ति पी॰ बी॰ सांवत, न्यायमूर्ति बी॰ पी॰ जीवनरेड्डी और न्यायमूर्ति एन॰ पी॰ सिंह

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) — धारा 5—संघटक—किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट आयुध या गोलाबारूद अभियुक्त द्वारा अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखना—यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कोई विनिर्दिष्ट आयुध या गोलाबारूद अभियुक्त के अप्राधिकृत रूप से सचेत (जानबूझकर) कब्जे में पाए जाते हैं, तो इससे यह कानूनी उपधारणा उत्पन्न होगी कि आयुध और गोलाबारूद्ध किसी आतंकवादी या विध्वंसक कार्य किए जाने के लिए प्रयोग किए जाने थे।

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28)— धारा 5 और धारा 2(1) (च)—अधिसूचित क्षेत्र—राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के निवारण के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना उसके (राज्य सरकार के) इस

आत्मनिष्ठ समाधान पर आधारित है कि विनिर्दिष्ट क्षेत्र आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए खुला (प्रवण) है।

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28)—धारा 5—"आयुध और गोलाबारूद" अभिव्यक्ति—इस अभिव्यक्ति को "और" के बजाय "या" वियोजक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28)—धारा 5—प्रकृति—इस अधिनियम में बहुत ही कठोर उपबंध अंतर्विष्ट हैं और इस अधिनियम के उद्देश्य और कारणों को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसके उपबंधों का सोद्देश्य अर्थान्वयन किया जाना चाहिए।

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28)—धारा 20(4) (खख)—180 दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा न होने पर लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर एक वर्ष की अवधि तक विस्तारण—विस्तारण मंजूर किए जाने से पूर्व अभियुक्त को नोटिस की अपेक्षा—यदि अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसे किसी प्रकार का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है।

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28)— धारा 20(4) (खख)—180 दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा किए जाने में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त का जमानत पर छोड़े जाने का "अजेय अधिकार"—यह अधिकार व्यतिक्रम के समय से उद्भूत होकर चालान फाइल किए जाने तक जारी रहता है और इसके पश्चात् बना नहीं रहता है—चालान फाइल किए जाने के पश्चात् जमानत मंजूर किए जाने के प्रश्न का विनिश्चय गुणागुण के आधार पर किया जाएगा और उस अभियुक्त को जिसे 180 दिन या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर जमानत पर छोड़ दिया गया है पुनः गिरफ्तार करके दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार अभिरक्षा में सुपुर्द किया जा सकता है।

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28)—धारा 20(8) (ख)—जमानत मंजूर किए जाने की शर्त—यह विश्वास करने के कि अभियुक्त "ऐसे अपराध का दोषी नहीं है" युक्तियुक्त आधार होने का विनिश्चय करना न्यायालय के समाधान पर आधारित है और ऐसी शर्त युक्तियुक्त है और अनुच्छेद 21 की अतिक्रमणकारी नहीं है।

आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28)—धारा 21—साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के देखने में उक्त धारा में इस कानूनी उपधारणा को कि अभियुक्त के अप्राधिकृत कब्जे में रखे आयुध और गोलाबारूद अधिसूचित क्षेत्र में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप किए जाने के लिए प्रयोग किए जाने के लिए थे अभियुक्त द्वारा खंडन किए जाने का उपबंध है।

दांडिक विचारण—प्रतिरक्षा— यदि किसी कानून में स्पष्ट संकेत नहीं है तो रिष्टि के निवारण और नियंत्रित किए जाने की बाबत अनुमान लगाया जाएगा।

संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट—याची द्वारा प्रतिप्रेषण या अभियुक्त के निरोध के विधिमान्य आदेश के अभाव के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की ईप्सा किया जाना—यदि नियम की घोषणा की तारीख को अभियुक्त की अभिरक्षा या निरोध विधिमान्य आदेश पर आधारित है, तो रिट को खारिज कर दिया जाएगा।

याची मुम्बई बम विस्फोट कांड जो तारीख 12 मार्च, 1993 को हुआ और जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा से संबंधित विचारण किए जा रहे अनेक अभियुक्तों में से एक है। याची के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने जो आरोपपत्र प्रस्तुत किया उसमें यह वर्णित है कि तारीख 16 जनवरी, 1993 को उसने जानबूझकर कुछ अभियुक्तों से कतिपय खतरनाक और प्राणहर आयुध और गोलाबारूद प्राप्त किए। याची का विचारण टाडा अधिनियम सहित अनेक अपराधों के लिए किया गया। याची ने अपनी प्रतिरक्षा में यह कहा कि उसके कब्जे में आयुध और गोलाबारूद स्वयं की प्रतिरक्षा के लिए थे क्योंकि उसे और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को गंभीर धमकियां मिल रही थीं और इनका किसी आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं था और आयुध तथा गोलाबारूद का मात्र अप्राधिकृत कब्जे में रखना इन परिस्थितियों में टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध गठित नहीं कर सकता और उसका विचारण आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन किया जाना चाहिए। याची ने इस आधार पर जमानत पर छोड़े जाने का दावा किया। अभिहित न्यायालय ने याची को जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया। परिणामतः याची ने अभिहित न्यायालय के आदेश के विरुद्ध ये विशेष इजाजत याचिकाएं जमानत मंजूर किए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में फाइल की। उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ ने विधि के निर्दिष्ट प्रश्नों का अवधारण करते हुए,

अभिनिर्धारित—इस संदर्भ में "कब्जा" शब्द से अपेक्षित मानसिक तत्व के साथ कब्जा अभिप्रेत है अर्थात् सचेत (संज्ञान) कब्जा न कि ऐसे कब्जे की प्रकृति से अवगत हुए बिना मात्र अभिरक्षा। तदनुसार टाडा अधिनियम की धारा 5 में "कब्जे" के संघटक से सचेत कब्जा अभिप्रेत है। इस प्रकार किसी अप्राधिकृत पदार्थ के मात्र कब्जे के कारण पूर्ण दायित्व वाले कानूनी अपराध के समरूप संदर्भ में कब्जे के संघटक पर प्रकाश डाला गया। (पैरा 20)

इस संदर्भ में अप्राधिकृत कब्जे से विधि के प्राधिकार बिना कब्जा अभिप्रेत है। "किसी अधिसूचित क्षेत्र में" ऐसे किसी आयुध आदि का इस प्रकार अभिप्रेत कब्जा अपराध गठित करता है। इस अंतिम संघटक के वास्तविक अर्थ की बाबत ही वास्तविक संविवाद है। (पैरा 21)

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 2(1) (च) में परिभाषित "अधिसूचित क्षेत्र" से ऐसा

क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। धारा 2(1) (च) के अधीन राज्य सरकार की किसी क्षेत्र को अधिसूचित करने की शक्ति का संबंध अधिसूचित क्षेत्र में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने से सुआधारित है अन्यथा राज्य सरकार की शक्ति अनियंत्रित और अमार्गदर्शित होगी जिसके परिणामस्वरूप धारा 5 दोषपूर्ण बन जाएगी। (पैरा 22)

कोई विनिर्दिष्ट क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) (च) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ऐसा इस तथ्य के प्रति निर्देश करके किया जाता है कि अधिसूचित क्षेत्र आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों में किए जाने और उसमें वृद्धि के लिए अधिक खुला (प्रवण) है। इस आधार पर "किसी अधिसूचित क्षेत्र" का अनधिसूचित क्षेत्रों में भिनतः वर्गीकरण किया जाता है और इसका वर्गीकरण के उद्देश्य से युक्तियुक्त संबंध है। अतः इस प्रकार के क्रियाकलापों का उस क्षेत्र के अंतर्गत संबंध है। अतः इस प्रकार के क्रियाकलापों का उस क्षेत्र के अंतर्गत किसी विशेष अपराध के किए जाने से संबंध होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचित क्षेत्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र घोषित किया जाना उसके समाधान पर आधारित है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्षेत्र आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों और इनमें अभिवृद्धि के लिए खुला है। राज्य सरकार द्वारा यह राय अवश्य ही आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के प्रति निर्देश करके निर्मित की जानी चाहिए क्योंकि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ही ताकि विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि उस क्षेत्र में न पहुंच सकें धारा 5 अधिनियमित की गई है। किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए तथ्यपरक आधार के होने की धारा 5 के प्रयोजनार्थ उपधारणा की जानी चाहिए अन्यथा प्रत्येक मामले में सबूत की आवश्यकता होगी। धारा 5 के अधीन अपराध के तृतीय संघटक का यही वास्तविक महत्व है। (पैरा 25)

किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार के आयुध और गोलाबारूद आदि के अप्राधिकृत कब्जे का महत्व यह है कि यह कानूनी उपधारणा उत्पन्न होती है कि आयुध आतंकवादी या विध्वंसक कार्य किए जाने के लिए प्रयोग किया जाना था। ऐसा इसलिए कि क्षेत्र के आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए खुला होने के कारण अधिसूचित क्षेत्र के भीतर प्राणहर और खतरनाक प्रकार के आयुध और इस ज्ञान के साथ इसके अप्राधिकृत कब्जे को निषिद्ध किया गया है। (पैरा 26)

अब यह स्थिति स्पष्ट है कि टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय बनाया गया अपराध गठित करने के लिए अभियोजन पक्ष को पूर्वोक्त तीनों संघटक साबित करने चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा एक बार किसी "अधिसूचित क्षेत्र" में किसी प्रकार के विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि का अभियुक्त द्वारा "अप्राधिकृत" और "सचेत कब्जा" साबित हो जाने पर, दोषसिद्धि इस उपधारणा पर की जाएगी जब तक कि अभियुक्त अपराध के किसी संघटक को गठित करने के लिए आवश्यक तथ्य के न होने को साबित न कर दे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभियुक्त तथ्य के न होने की प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर सकता है जो कि अभियुक्त द्वारा साबित किए जाने वाले अपराध का संघटक है। (पैरा 27)

यदि अभियुक्त किसी अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद आदि के अपने अप्राधिकृत कब्जे के पश्चात् मात्र तृतीय संघटक को गठित करने के लिए आवश्यक तथ्यों के न होने को साबित करने में सफल रहता है, तो उसे टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन सिद्धदोष घोषित नहीं किया जा सकता है और साधारण विधि के अधीन ही उसे दंडित किया जाएगा। (पैरा 28)

यदि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 21 के कारण धारा 3 के अधीन किसी अपराध से उद्भूत उपधारणा अभिव्यक्ततः खंडन किए जाने योग्य बनाई गई है, तो ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि धारा 5 के अधीन अपराध की उपधारणा क्यों अखंडनीय होगी और यह क्यों नहीं खंडन किए जाने योग्य। तथापि अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध धारा 3 के अधीन अपराध की अपेक्षा कम गंभीर है। यह अर्थान्वयन भी अधिमान दिए जाने योग्य है क्योंकि कानून शास्तिक प्रकृति का है। धारा 5 के अधीन कानूनी उपधारणा का खंडन किए जाने की बाबत अभियुक्त पर भार और इसकी प्रकृति उतनी ही है जितनी की धारा 21 के कारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध से उद्भूत उपधारणा की बाबत। (पैरा 31)

यह स्पष्ट है कि धारा 5 में इस प्रकार की कानूनी उपधारणा का परिशीलन कानून की स्कीम के अनुरूप है और धारा 5 का इस संदर्भ में परिशीलन कानूनी उपधारणा को स्वयं में अस्पष्ट बनाता है। धारा 21 के ये स्पष्ट शब्द कि "अभिहित न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, यह उपधारणा करेगा" यह स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि इसके अधीन उपधारणा खंडन किए जाने योग्य उपधारणा है। टाडा अधिनियम की धारा 21 की भाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 की भाषा से भिन्न है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 की भाषा से यह दर्शित है कि इसके अधीन उपधारणा अखंडनीय है जब कि टाडा अधिनियम की धारा 21 के अधीन उपधारणा खंडन किए जाने योग्य है। यह अवेक्षणीय है कि धारा 5 केवल उसी दशा में आकृष्ट होती है यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में प्रवर्ग 1 के कालम 2 और 3 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद या आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 1 के प्रवर्ग 3(क) में दिए गए आयुध और गोलाबारूद जो कि प्रतिषिद्ध आयुध, अर्ध स्वचालित अग्न्यायुध, चिकनी बोर की बंदूकें, बोल्ट ऐक्शन या कतिपय प्रवर्गों की अर्ध स्वचालित राईफलें, रिवाल्वर और पिस्तौल और उनके गोलाबारूद या बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ जो कि अंतर्निहित रूप में अत्यधिक खतरनाक आयुध हैं अप्राधिकृत रूप से कब्जे में पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी आयुध साधारण प्रयोग के लिए या रखे जाने के लिए नहीं हैं। अतः कानूनी उपधारणा भी युक्तियुक्त है। (पैरा 32)

"ले जाना या रखना" संघटक की अपेक्षा के रूप में जानकारी के मानसिक तत्व का इस उपबंध में परिशीलन किया गया किंतु अपराध के तत्व के रूप में विवक्षित रूप में किसी विशेष आशय की अपेक्षा को अस्वीकार कर दिया गया। यह अर्थान्वयन टाडा अधिनियम की धारा 5 सरीखे उपबंध का किया गया जहां समरूप विधान में अपराध के लिए मृत्यु शास्ति उपबंधित की गई। सिद्धांततः जैसा कि न्यायालय ने उपदर्शित किया टाडा अधिनियम की धारा 5 में खंडन किए जाने योग्य उपधारणा का

ही मात्र परिशीलन किया जाना अपेक्षित है। प्रतिपिद्ध पदार्थ का मात्र सचेत कब्जा अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है और टाडा अधिनियम सरीखे कानून में धारा 5 द्वारा सर्जित अपराध असाधारण या संकाल्पनिक रूप से अननुज्ञेय नहीं है। (पैरा 34 और 35)

टाडा अधिनियम की धारा 5 का जो अर्थान्वयन किया गया है उससे यह दर्शित है कि इसमें पूर्ण दायित्व के साथ कानूनी अपराध सर्जित किया गया और इसमें कोई कानूनी अपवाद नहीं है। तथापि, यह मत भी व्यक्त किया कि अभियुक्त को टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध का संघटक गठित करने के लिए आवश्यक तथ्य के न होने को साबित करने की अपनी प्रतिरक्षा के रूप में अधिकार प्राप्त है और इस प्रयोजनार्थ वह उपर्युक्त रूप में अपने विरुद्ध उपधारणा का खंडन कर सकता है। यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा वास्तव में आपवादिक प्रतिरक्षा है अथवा ऐसी प्रतिरक्षा है जिसके द्वारा ऐसे तथ्य के न होने का प्राख्यान किया गया जो कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले अपराध का संघटक है विशिष्ट कानून के अर्थान्वयन पर आधारित है। यदि कानून की भाषा से संसद् के आशय का स्पष्टतः पता नहीं चलता है, तब उस रिष्टि जिसका निवारण किया जाना है और "सबूत के भार को प्रभावित करने वाली व्यावहारिक विचारणाओं" और उस आपेक्षित सुगमता या कठिनाई जिसका प्रत्येक पक्षकार इस भार का निर्वहन करते समय सामना करेगा, के संदर्भ से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। (पैरा 36)

आपराधिक विधिशास्त्र का यह स्थिर नियम है कि अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा में कानूनी उपधारणा खंडन किए जाने के तथ्य को साबित करने का भार इतना नहीं जितना कि अभियोजन पक्ष पर अपना पक्षकथन किसी प्रकार के युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का है और उस पर गुरूतर अधिसंभाव्यता को साबित करने का भार कम है। इस प्रकार, उस कानूनी उपधारणा का खंडन करने का भार जो अभियोजन पक्ष द्वारा इस सबूत पर कि किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार से विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद्ध आदि अभियुक्त के अप्राधिकृत कब्जे में थे टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसके विरुद्ध उद्भूत होगी अभियुक्त पर गुरूतर अधिसंभाव्यता का है। जब अभियोजन पक्ष इन तथ्यों को साबित कर दे, तो बस इतना ही पर्याप्त है और इसके आधार पर टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दोषसिद्धि की जाएगी जब तक कि अभियुक्त यह साबित करके कि ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद्ध आदि का किसी आतंकवादी या विध्वंसक क्रियाकलाप के लिए न तो प्रयोग किया गया और न ही प्रयोग किया जाना था कानूनी उपधारणा का खंडन न कर दे। अभियोजन पक्ष द्वारा टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध साबित करने के लिए उसके द्वारा इनके अप्राधिकृत कब्जे का किसी विनिर्दिष्ट आतंकवादी अथवा विध्वंसक क्रियाकलाप के साथ और आगे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह संबंध विवक्षित है, जब तक कि किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ऐसे किसी आयुध आदि के अप्राधिकृत सचेत कब्जे के तथ्य और अंतर्निहित प्राणहर और खतरनाक प्रकृति और इनकी संभाव्यता की बाबत खंडन न किया जाए। (पैरा 38)

किसी अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे "किसी आयुध और गोलाबारूद" जो कि प्रतिपिद्ध हैं "या बम या डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों" को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखना प्रतिपिद्ध है। (पैरा 40)

"और" शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसूची 1 के स्तंभ (2) और (3) में आयुध और गोलाबारूद दोनों ही विनिर्दिष्ट हैं। धारा 5 में "कोई आयुध और गोलाबारूद" शब्दों से इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोलाबारूद अथवा दूसरे शब्दों में अनुसूची के प्रवर्ग 1 के स्तंभ (2) और (3) या प्रवर्ग 3(क) में विनिर्दिष्ट कोई आयुध या कोई गोलाबारूद अभिप्रेत है। ".......विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोलाबारूद" अभिव्यक्ति में "अथवा" शब्द के बजाय "और" शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि दोनों के प्रति निर्देश अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रूप में किया गया है। इस कारण, "आयुध और गोलाबारूद" शब्दों को संयोजक रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इस तथ्य से आगे यह भी स्पष्ट है कि बम आदि सरीखे अन्य प्रतिपिद्ध पदार्थों का वर्णन करते समय "अथवा" वियोजक का प्रयोग किया गया है। इससे यह अभिप्रेत है कि प्रतिपिद्ध पदार्थ जिनमें से किसी का किसी अधिसूचित क्षेत्र में अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखना धारा 5 के अधीन अपराध है कोई विनिर्दिष्ट आयुध या उसका गोलाबारूद या बम या डायमानाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ हैं। जब तक इन शब्दों को इस रीति में संयोजक के बजाय वियोजक के रूप में न पढ़ा जाए, प्रतिपिद्ध आयुध और गोलाबारूद के अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने को प्रतिपिद्ध करने का उद्देश्य एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपिद्ध आयुध ले जाने की मात्र युक्ति से ताकि उनमें से कोई भी धारा 5 के अंतर्गत न आ सके जबकि उन दोनों को ले जाने वालों में से प्रत्येक इस प्रकार दायी होगा सरलतापूर्वक विफल हो जाएगा। (पैरा 41)

संसद् की यह परिकल्पना है कि टाडा अधिनियम की अधिनियमित आतंकवादी, विध्वंसकारी और उनके सहयुक्तों अथवा ऐसे व्यक्तियों से भी जिनके बारे में ऐसे सहयोजन से संबंधित युक्तियुक्त रूप से आशंका की जा सकती है से निपटने के लिए आवश्यक है। कानून की शास्तिक प्रकृति को देखते हुए ऐसे अर्थान्वयन को जिसमें व्यक्ति इसके प्रवर्तन से बच सके उस अर्थान्वयन की बनिस्बत अधिमान दिया जाना चाहिए जो उसे इसमें सम्मिलित करे और इस कारण अधिनियमिति के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले न कि उस क्षेत्र से परे इसकी व्याप्ति को विस्तारित करने वाले जिस लिए इसका प्रवर्तन आशयित है। सोद्देश्य अर्थान्वयन को अपनाया जाना चाहिए। टाडा अधिनियम की धारा 5 का जो अर्थान्वयन न्यायालय ने किया है वह अभियुक्त को किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ऐसे किसी आयुध आदि को मात्र अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के द्वारा कोई अपराध किए जाने पर उसके विरुद्ध उद्भूत उपधारणा का खंडन करने का अवसर प्रदान करता है और यही बात इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन से प्रकट है। यह आपराधिक विधिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों और अभियुक्त के सामान्यतः मान्य आधारभूत अधिकारों के अनुरूप है। संसद का विधायी आशय अभियुक्त के इस बात को साबित करने के अधिकार को कि वह टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन गंभीर अपराध का दोषी नहीं है और इसलिए वह सामान्य विधि जिसमें लघुतर दंड उपबंधित है के अधीन विचारण का हकदार है उपर्जित करना नहीं है। टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आजीवन कारावास के अधिकतम दंड के साथ किसी विनिर्दिष्ट आयुध आदि के अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिए पांच वर्ष के न्यूनतम दंडादेश का उपबंध ऐसे विधायी आशय का अनुमान लगाने के लिए स्वयं में पर्याप्त है, ऐसा और भी जब ऐसा विधायी आशय और भी युक्तियुक्त हो। सबूत के भार को प्रभावित

करते हुए टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन की व्यावहारिक विचारणाओं से यह उपदर्शित है कि ऐसे आयुध आदि का जो अभियुक्त किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखे हुए है उसके द्वारा आशयित प्रयोग केवल उसी को मालूम होता है और अभियोजन पक्ष प्रायः इसे साबित नहीं कर पाता है जबकि अभियुक्त इस बाबत सरलतापूर्वक अपना आशय साबित कर सकता है। व्यावहारिक विचारणाओं से भी उस मत की पुष्टि होती है जो न्यायालय ने अपनाया है। (पैरा 42)

अभियुक्त को प्रोद्भूत अजेय अधिकार चालान फाइल किए जाने के पूर्व ही प्रवर्तनीय है और यदि इससे पहले लाभ नहीं उठाया गया है तो यह चालान फाइल किए जाने पर बना नहीं रहता है अथवा लागू नहीं रहता है। एक बार चालान फाइल किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने के प्रश्न का चालान फाइल किए जाने के पश्चात् किसी अभियुक्त को जमानत मंजूर किए जाने से संबंधित उपबंधों के अधीन मामले के तथ्यों के प्रति निर्देश करते हुए विनिश्चय किया जाना चाहिए। चालान फाइल किए जाने के उपरांत अभियुक्त की अभिरक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 द्वारा शासित न होकर विभिन्न उपबंधों द्वारा शासित होती है। यदि अभियुक्त को यह अधिकार प्रोद्भूत हुआ था किन्तु इसे चालान फाइल किए जाने तक लागू नहीं किया गया, तब इसे इसके पश्चात् लागू किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह चालान फाइल किए जाते ही निर्वापित हो जाता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 लागू नहीं रहती है जमानत का मंजूर किया जाना समय विस्तारण की प्रार्थना यदि ऐसी प्रार्थना की जाती है के नामंजूर किए जाने के भी अध्यधीन है। यदि अभियुक्त यथास्थिति 180 दिन की अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर इस उपबंध के अधीन जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसे तत्काल जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त को गिरफ्तार करके दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार अभिरक्षा के सुपुर्द किया जा सकता है। (पैरा 49)

अवलम्बित निर्णय

		पैरा
[1990]	(1990) 4 एस० सी० सी० 76: **निरंजन सिंह कर्म सिंह पंजाबी** बनाम **जितेन्द्र भीमराज बिजय्या;**	18
[1987]	(1987) 1 आल इ० आर० 1 (एच० एल०): **आर०** बनाम **हंट;**	36
[1969]	(1969) 2 ए० सी० 256: **वारनर** बनाम **मेट्रोपोलिटन पुलिस कमिश्नर;**	20
[1967]	ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 276=[1966] सप्ली० एस० सी० आर० 473: **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **मैसर्स आज़ाद भारत फाइनेंस कंपनी;**	17
[1966]	[1966] 2 एस० सी० आर० 427: **ए० के० गोपालन** बनाम **भारत सरकार;**	49
[1957]	[1957] एस० सी० आर० 531 (केना० एस० सी०): **लुई बीवर** बनाम **हर मेजेस्टी द क्वीन;**	35
[1955]	[1955] 1 एस० सी० आर० 158: **तोलाराम रेलूमल** बनाम **स्टेट आफ बाम्बे;**	17
[1953]	ए० आई० आर० 1953 एस० सी० 277: **राम नारायण सिंह** बनाम **दिल्ली राज्य और अन्य;**	49
[1952]	ए० आई० आर० 1952 एस० सी० 106: **निरंजन सिंह नाथवान** बनाम **पंजाब राज्य;**	49
[1950]	(1950) ए० सी० 458: **संबा शिवम्** बनाम **पब्लिक प्रोजिक्यूटर, फेडरेशन आफ मलाया;**	20,41
[1946]	(1946) 1 आल इ० आर० 255 (एच० एल०): **लंडन एंड नार्थ इस्टर्न रेलवे कंपनी** बनाम **बेरीमन।**	17

अभिपुष्ट किया गया निर्णय

[1994]	[1994] 3 उम० नि० प० 721=(1994) 3 एस० सी० सी० 569: **करतार सिंह** बनाम **पंजाब राज्य।**	6,11, 16,38, 51,52

स्पष्ट और परिसीमित किया गया निर्णय

[1994]	(1994) 4 एस० सी० सी० 602: **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य।**	6,45, 46,47, 48,50 54

उलट दिया गया निर्णय

[1992]	(1992) 4 एस० सी० सी० 662: **पारस राम** बनाम **हरियाणा राज्य।**	39,41

निर्दिष्ट निर्णय

73 एल० इ० डी० 575:
डब्ल्यू० डी० मेनले बनाम **स्टेट आफ जार्जिया।** 37

अपीली (दांडिक) अधिकारिता: **1994 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं० 1834-35.**

एम० ए० सं० 118/94 डी० ए० सं० 31/94 और बी० डी० सी० सं० 1/93 में मुम्बई स्थित अभिहित न्यायालय के तारीख 5 जुलाई, 1994 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

याची की ओर से सर्वश्री राम जेठमलानी, शांति भूषण, कपिल सिबल और रजिन्दर सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता) और इनके साथ सर्वश्री एस० बी० जयसिंहानी, महेश जेठमलानी और सुश्री लता कृष्णमूर्ति

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री जी० नटराजन, बी० के० अग्रवाल और पी० परमेश्वरन्

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जे० एस० वर्मा ने दिया।

न्या० वर्मा—इन विशेष इजाजत याचिकाओं में खंड न्यायपीठ (जिसमें न्यायमूर्ति बी० पी० जीवन रेड्डी और न्यायमूर्ति एन० पी० सिंह सम्मिलित थे) द्वारा तारीख 18 अगस्त, 1994 को आदेश द्वारा याची को जो कि वृहत्तर मुम्बई के अभिहित न्यायालय द्वारा विचारण किए जा रहे मुम्बई बम विस्फोट कांड का एक अभियुक्त है जमानत मंजूर किए जाने से संबंधित ये मामले संविधान न्यायपीठ के विनिश्चयार्थ निर्दिष्ट किए गए हैं क्योंकि इन विशेष इजाजत याचिकाओं में अंतर्वलित कतिपय प्रश्नों का संबंध आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'टाडा' कहा गया है) के अधीन दंडनीय अपराधों के अनेक अभियुक्त व्यक्तियों से है। इस प्रकार के मामले इस न्यायपीठ द्वारा विनिश्चय किए जाने के लिए हमारे समक्ष आए हैं। हमने अपने समक्ष सुनवाई प्रारंभ होने के समय यह उपदर्शित किया था कि यह न्यायपीठ निर्देशाधीन आदेश में यथा उपदर्शित मामले में अंतर्वलित मात्र विधि के प्रश्नों का ही विनिश्चय करेगा और तत्पश्चात् इन मामलों को समुचित खंड न्यायपीठ को हमारे द्वारा विधि के प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के अनुसार गुणागुण के आधार विनिश्चय के लिए वापस भेज देगा। तदनुसार, केवल उन्हीं तर्कों का जो विधि के उन प्रश्नों को जिनका विनिश्चय हमारे द्वारा किया जा रहा है के मूल्यांकन के लिए तात्विक है इस आदेश में उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त निर्देशाधीन आदेश में उपदर्शित विधि के प्रश्न जिनका विनिश्चय हमारे द्वारा किया जाना है, ये हैं अर्थात्—

> "(1) टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध के संघटक और इस अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उपलब्ध प्रतिरक्षा के क्षेत्र को उपदर्शित करते हुए इसका उचित अर्थान्वयन;
>
> (2) टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (खख) के अधीन अभियुक्त को इसमें अनुज्ञात समय के भीतर अन्वेषण पूरा न किए जाने पर जमानत पर छोड़े जाने के अधिकार की प्रकृति उपदर्शित करते हुए उचित अर्थान्वयन; और
>
> (3) टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के अधीन जमानत की व्याप्ति को उपदर्शित करते हुए इसका उचित अर्थान्वयन और क्षेत्र।"

3. उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तात्विक तथ्य इस प्रकार हैं:—

> "याची मुम्बई बम विस्फोट कांड जो तारीख 12 मार्च, 1993 को हुआ और जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा से संबंधित वृहत्तर मुम्बई के अभिहित न्यायालय में विचारण किए जा रहे 1993 में मामला संख्या 1 के अनेक अभियुक्त व्यक्तियों में से एक है। आरोपपत्र में यथा उपदर्शित अभियोजन पक्ष का पक्षकथन याची के विरुद्ध यह है कि तारीख 16 जनवरी, 1993 को उसने जानते हुए और आशय से विध्वंसक कार्य किए जाने के प्रयोजनार्थ समीर अहमद हिंगोरा, हनीफ कड़ावाला, बाबा उर्फ इब्राहीम मूसा चौहान, अबू सलाम, अब्दुल कय्यूम अंसारी और मंजूर अहमद, सैयद अहमद के माध्यम से अभियुक्त अनीस इब्राहीम कसकर से 3 ए० के० 56 रायफल, 25 हथगोले और एक 9 मिलिमीटर की पिस्तौल और कारतूस प्राप्त किए। संजय दत्त ने ए० के० 56 रायफल, हथगोले पिस्तौल और कारतूस अपने कब्जे में इच्छापूर्वक रखकर इन उद्देश्यों को सुकर बनाया। अन्वेषण के दौरान रायफल, 8 मिलिमीटर की पिस्तौल के कुछ भाग और 53 चक्र चालू कारतूस बरामद किए गए। अभियुक्त युसुफ मोहसिन नलवाला, करसी बापूजी अदेनिया, रूसी फ्रेमरोज मुल्ला, अजय प्रकाश मरवाह ने अपराधी अर्थात् अभियुक्त संजय दत्त को विधिक परिणामों से संरक्षित करने के आशय से अभियुक्त के कहने पर उसके घर से साक्ष्य अर्थात् 1 ए० के० 56 रायफल, एक 9 मिलिमीटर की पिस्तौल और कारतूसों को सोच समझकर हटाया और जानबूझकर विनष्ट किया और इसलिए वे भी भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन अपराध के दोषी हैं।"

4. याची के विरुद्ध आरोप टाडा अधिनियम के अधीन अपराधों सहित अनेक अपराधों से संबंधित है जिनमें धारा 5 के अधीन भी एक अपराध है। अभियोजन पक्ष द्वारा कतिपय साक्षियों के परिसाक्ष्य, कुछ आलिप्त करने वाली परिस्थितियों और स्वयं याची द्वारा की गई संस्वीकृति जिससे मुकरा नहीं गया है का अवलंब लिया गया। उक्त संस्वीकृति में जिससे मुकरा नहीं गया है याची ने यह स्वीकार किया कि उसने तारीख 16 जनवरी, 1993 को पूर्वोक्त व्यक्तियों से गोला बारूद के साथ-साथ तीन ए० के० 56 रायफलें प्राप्त कीं और यह कहा कि उसने दो दिन पश्चात् इनमें से दो लौटा दीं किन्तु आत्मरक्षा के प्रयोजनार्थ केवल एक अपने पास रखी। याची ने आगे यह भी कहा कि वह तारीख 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या की घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न तनावपूर्ण सांप्रदायिक स्थिति और अपने पिता लोक सभा सदस्य सुनील दत्त की सामुदायिक समन्वय बनाए रखने की दिशा में अदा की गई सक्रिय भूमिका के लिए दी गई गंभीर धमकियों और उसकी बहिनों को भी जो उसके साथ रहती हैं को दी गई गंभीर धमकी को दृष्टिगत करते हुए अपने पिता की जानकारी के बिना अपने कुटुम्ब की संरक्षा के लिए बारूद सहित एक ए०के० 56 रायफल प्राप्त करने और रखने को तैयार हो गया। संक्षेप में, याची का कथन यह है कि इन परिस्थितियों में उसके कब्जे में बारूद सहित एक ए०के० 56 रायफल उसके कुटुम्ब के सदस्यों को गंभीर धमकियों के कारण थी और उसका किसी प्रकार के आतंकवादी क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं था और इस प्रकार इन परिस्थितियों में आयुध और गोला बारूद का उसके कब्जे में अप्राधिकृत रूप से पाया जाना टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध गठित नहीं कर सकता है और यह केवल आयुध अधिनियम, 1959 के अधीन आएगा। याची ने इस आधार पर जमानत पर छोड़े जाने का दावा किया है और अपने इस प्रख्यान के समर्थन में कि उसकी कार्रवाई का किसी प्रकार के आतंकवादी या विध्वंसकारी क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है अपने आचरण से संबंधित कतिपय अन्य तथ्यों का अवलंब लिया। उन तथ्यों के अलावा जो जमानत मंजूर किए जाने से संबंधित याची के पक्षकथन पर गुणागुण के आधार पर विचार किए जाने के प्रयोजनार्थ तात्विक है किसी अन्य तथ्य के प्रति यहां उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। अभिहित

न्यायालय ने याची की जमानत नामंजूर कर दी। ये विशेष इजाजत याचिकाएं अभिहित न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हैं अर्थात् सारवान् रूप में याची को जमानत मंजूर किए जाने के लिए फाइल की गई हैं।

5. इन तथ्यों के आधार पर हमें विधि के पूर्वोक्त प्रश्नों का अवधारण करना है ये प्रश्न टाडा अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों जिन्हें इस कारण निरुद्ध किया गया है के असंख्य मामलों में उद्भूत हुए हैं। इन प्रश्नों का उन अनेक मामलों में जिनमें ये उद्भूत हुए हैं और डाटा अधिनियम की अवधि के दौरान इनके बार-बार उद्भूत होने के कारण जिससे यह निर्देश किया गया है सामान्य महत्व है।

6. यह निवेदन किया गया कि **करतार सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय में इन प्रश्नों का उत्तर पूर्णतः नहीं दिया गया है। यह भी निवेदन किया गया कि **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में खंड न्यायपीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में इसमें दिए गए अंतिम आदेश के संदर्भ में इसका परिशीलन करने पर टाडा अधिनियम की धारा 20(4) (खख) के वास्तविक अर्थ और प्रभाव की बावत कुछ अस्पष्टता है और इसलिए इस संविवाद का तय किया जाना आवश्यक है। अब हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे।

7. आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 "आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए अधिनियम" है। इसके उद्देश्य के कारण और कथनों में उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थिति को उपदर्शित किया गया है जिस कारण इसे अधिनियमित किया गया। उद्देश्यों और कारणों के तात्विक भाग के प्रति निर्देश करना उपयुक्त रहेगा और यह इस प्रकार है:—

> "आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 मई, 1985 में देश के अनेक भागों में उस समय बढ़ते हुए आतंकवादी क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया। उस समय यह आशा की गई थी कि इस खतरे को दो वर्ष की कालावधि के भीतर नियंत्रित करना संभव होगा और इसलिए उक्त अधिनियम के लागू रहने की अवधि इसके प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष रखी गई। तथापि, बाद में यह महसूस किया गया कि विभिन्न कारणों से जो प्रारंभ में छुटपुट घटनाएं थीं अब अनवरत खतरा बनी हुई हैं विशेषकर पंजाब राज्य में। अनुभव के आधार पर यह महसूस किया गया कि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के प्रभावी रूप से निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए, उक्त विधि को जारी रखना न केवल आवश्यक है अपितु आगे इसे सुदृढ़ भी बनाया जाना चाहिए। 1985 का पूर्वोक्त अधिनियम तारीख 23 मई, 1987 को समाप्त होने वाला था। चूंकि संसद् के दोनों सदन अधिवेशन में नहीं थे और तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक था, राष्ट्रपति ने आतंकवादी और विध्वंसक क्रियालाप (निवारण) अध्यादेश, 1987 (1987 का 2) तारीख 23 मई, 1987 को प्रख्यापित किया जो तारीख 24 मई, 1987 को प्रवर्तन में आया।
>
> * * *
>
> अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् यह महसूस किया गया कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए इसके उपबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है, अतः यह प्रस्तावित किया गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके कब्जे में आयुध नियम, 1962 में विनिर्दिष्ट कतिपय आयुध या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी क्षेत्र में अप्राधिकृत रूप से अन्य विस्फोटक पदार्थ हैं, ऐसी अवधि के कारावास से दंडित होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जिसे जुर्माने सहित आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यह उपबंधित करने के लिए भी आगे प्रस्तावित किया गया कि पुलिस अधिकारी जो कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से निम्नतर नहीं है के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति जिसे ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में या किसी अन्य यांत्रिक युक्ति से लेखबद्ध किया गया प्रस्तावित विधान या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के विचारण में ग्रहण की जाएगी। यह भी उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है कि अभिहित न्यायालय यह उपधारणा करेगा, जब तक कि प्रतिकूल उपबंधित न हो, कि अभियुक्त ने अपराध किया था जहां आयुध या विस्फोटक सामग्री या धारा 3 में विनिर्दिष्ट कोई अन्य पदार्थ उसके कब्जे से बरामद किए गए या जहां विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा अभियुक्त के अंगुलि चिह्न अपराध स्थल पर पाए गए या जहां अभियुक्त द्वारा यह संस्वीकृति की गई कि अभियुक्त ने अपराध किया था या जहां अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की थी......।"
>
> (अधोरेखांकित भाग पर हमारे द्वारा जोर दिया गया)

8. हमने याची की ओर से श्री कपिल सिबल और प्रत्यर्थी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से अपर महासालिसिटर श्री के० टी० एस० तुलसी को सुना। विनिश्चित किए जाने वाले प्रश्नों जिनसे टाडा अधिनियम के अधीन अपराधों के बहुत बड़ी संख्या में अभियुक्त व्यक्ति प्रभावित होंगे के सामान्य महत्व को दृष्टिगत करते हुए, हमने इस न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे० सोराबजी से इन प्रश्नों के विनिश्चय में हमारी सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होने के लिए निवेदन किया। हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा हमारी इजाजत से फाइल

---

1 [1994]3 उम० नि० प० 721=(1994)3 एस० सी० सी० 569.

2 जे० टी० 1994 (4) एस०सी० 255=(1994) 4 एस० सी० सी० 602.

किए गए लिखित निवेदनों पर भी विचार किया। हम विद्वान् काउंसेलों द्वारा सुनवाई के समय की गई हमारी अमूल्य सहायता के लिए भी उनके आभारी हैं।

9. अब टाडा अधिनियम के कतिपय उपबंधों के प्रति निर्देश किया जा सकता है। धारा 1 में अधिनियम के विस्तार, लागू होने, प्रारंभ और अवधि से संबंधित उपबंध है इसमें यह कहा गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह प्रारंभ में मई, 1987 से दो वर्ष की अवधि के लिए लागू रहना था किंतु इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। अंतिम बार इसे 1993 के अधिनियम सं० 43 द्वारा इसके प्रारंभ से आठ वर्ष के लिए बढ़ाया गया। धारा 2 की उपधारा (1) में अनेक खंड परिभाषाओं के हैं। खंड (क) में "दुष्प्रेरित करना" शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई परिभाषा की अपेक्षा अतिव्यापक है। खंड (घ) में "विध्वंसक क्रियाकलाप" को परिभाषित करके इसे धारा 4 में दिए गए अर्थ में प्रयुक्त किया गया है; और खंड (ज) में "आतंकवादी कार्य" का वही अर्थ है जो धारा 3 की उपधारा (1) में है। खंड (च) में परिभाषित "अधिसूचित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। टाडा अधिनियम की साधारण स्कीम से प्राप्त सहायता और राज्य सरकार को टाडा अधिनियम के प्रयोजनार्थ "अधिसूचित क्षेत्र" विनिर्दिष्ट करने में मार्गदर्शन के लिए इसकी अधिनियमिति के उद्देश्य के अलावा, इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाने से निपटने के लिए कोई अन्य विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है। टाडा अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्र महत्वपूर्ण है जिसमें किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इसमें दिए गए कतिपय आयुध और गोलाबारूद आदि के मात्र अप्राधिकृत कब्जे को दंडनीय अपराध बनाया गया है। टाडा अधिनियम के भाग 2 का संबंध धारा 3 से 8 में वर्णित आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए दंड और इनसे निपटने के उपायों से है। धारा 3 में "आतंकवादी कार्य" अभिव्यक्ति का अर्थ दिया गया है और इसमें इसके लिए दंड भी विहित है। इसी प्रकार धारा 4 में "विध्वंसक क्रियाकलाप" अभिव्यक्ति का अर्थ दिया गया है और इसके लिए दंड विहित है। इससे आगे धारा 5 में यह कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय आयुध और गोलाबारूद आदि किसी "अधिसूचित क्षेत्र" में अप्राधिकृत रूप से मात्र कब्जे में रखेगा, "वह ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।" यह अपराध बहुत ही गंभीर है और इसका दंड आयुध अधिनियम में उपबंधित उसी प्रकार के आयुध और गोलाबारूद आदि के अप्राधिकृत रूप से मात्र कब्जे में पाए जाने के अपराध की अपेक्षा अत्यधिक कठोर है। धारा 6 में कतिपय मामलों में वर्धित शास्तियां उपबंधित हैं। धारा 6 में अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के सिद्धदोष व्यक्तियों की संपत्ति के समपहरण के लिए भी उपबंध है। भाग 3 में अंतर्विष्ट धारा 9 से 19 "अभिहित न्यायालयों" के गठन, उनके बैठने के स्थान, अभिहित न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विचारण से संबंधित कतिपय अन्य बातों के अलावा अन्य अपराधों से संबंधित अधिकारिता और शक्ति से संबंधित है। धारा 15 में पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई कतिपय संस्वीकृतियों और इनकी ग्राह्यता का वर्णन है। भाग 4 में प्रकीर्ण उपबंध दिए गए हैं जो कि धारा 20 से 30 में हैं धारा 20 में दंड प्रक्रिया संहिता के कतिपय उपबंधों के उपांतरित रूप में लागू किए जाने के लिए उपबंध है और धारा 21 में इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणाएं दी गई हैं।

10. अब हम सुविधा की दृष्टि से टाडा अधिनियम के उन उपबंधों को उद्धृत करना चाहेंगे जो हमारे प्रयोजनार्थ तात्विक हैं—

"2. **परिभाषाएं**—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क)* * *

(घ) 'विध्वंसक क्रियाकलाप' का वही अर्थ है जो धारा 4 में है और 'विध्वंसकारी' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

* * *

(च) 'अधिसूचित क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

* * *

(ज) 'आतंकवादी कार्य' का वही अर्थ है जो धारा 3 की उपधारा (1) में है और 'आतंकवादी' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।"

भाग 2

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए दंड और उनसे निपटने के लिए उपाय

3. **आतंकवादी कार्यों के लिए दंड**—(1) जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या जनता के किसी वर्ग को पृथक् करने या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आशय से, बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्यथा), ऐसी रीति से उपयोग करके जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या संपत्ति को नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित करता है या कारित करना संभाव्य है या सरकार को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए विवश करने के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वह आतंकवादी कार्य करता है।

(2) जो कोई आतंकवादी कार्य करेगा, वह—

(i) यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा;

(ii) किसी अन्य दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(3) जो कोई आतंकवादी कार्य या आतंकवादी कार्य की तैयारी का कार्य करने का षड्यंत्र करेगा, या प्रयत्न करेगा, या उसके किए जाने का पक्षपोषण करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा या उद्दीप्त करेगा या उसका किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

(4) जो कोई आतंकवादी को संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे आतंकवादी गिरोह या किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कार्यों में संलग्न है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(6) जो कोई किसी ऐसी जो आतंकवादी कार्य के किए जाने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है कोई संपत्ति को धारण करेगा या जो आतंकवादी निधियों से अर्जित की गई है, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

4. **विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए दंड**—(1) जो कोई किसी विध्वंसक क्रियाकलाप या विध्वंसक क्रियाकलाप की तैयारी का कार्य करेगा, या करने का षड्यंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा, पक्षपोषण करेगा, सलाह देगा या ऐसे कार्य का किया जाना जानबूझकर सुकर बनाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

*   *   *

5. **विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुछ अप्राधिकृत आयुधों, आदि को कब्जे में रखना**—जहां कोई व्यक्ति आयुध नियम, 1962 की अनुसूची के प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 3 (क) के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोला बारूद या बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ, किसी अधिसूचित क्षेत्र में, अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा वह, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

6. **वर्धित शास्तियां**—(1) यदि कोई व्यक्ति, किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी की सहायता करने के आशय से आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54), विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) या ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, तो वह पूर्वोक्त अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, जो किसी विधि, नियम या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करेगा या दुष्प्रेरण का प्रयत्न करेगा या उसके उल्लंघन की तैयारी करेगा, यह समझा जाएगा कि उसने उस उपबंध का उल्लंघन किया है और उपधारा (1) के उपबंध ऐसे व्यक्ति के संबंध में, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे कि 'आजीवन कारावास' के प्रति निर्देश का 'दस वर्ष की अवधि का कारावास' के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।"

*   *   *

भाग 3

अभिहित न्यायालय

*   *   *

12. **अन्य अपराधों की बाबत अभिहित न्यायालयों की शक्ति**—(1) किसी अपराध का विचारण करते समय अभिहित न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसका संहिता के अधीन अभियुक्त पर उसी विचारण में आरोप लगाया जाए, यदि वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो अभिहित न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा सकेगा और ऐसे अपराध के दंड के लिए, यथास्थिति, इस अधिनियम या ऐसे नियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा।

*   *   *

15. **पुलिस अधिकारियों के समक्ष कुछ संस्वीकृतियों को विचार में लेना**—(1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से अनिम्न रैंक के किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति, जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित में या किसी यांत्रिक युक्ति से जैसे कैसेट, टैप या साउंड ट्रैक जिससे ध्वनियां या आकृतियां पुनः प्रस्तुत की जा सकती हैं, अभिलिखित की गई

है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति या सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकारी के विचारण में ग्राह्य होगी:

परंतु यह तब जब कि सह-अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकारी को अभियुक्त के साथ उसी मामले में आरोपित और उसका विचारण किया जाता है।

(2) पुलिस अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन कोई संस्वीकृति अभिलिखित करने से पूर्व, संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो उसका उपयोग उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी कोई संस्वीकृति तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसे यह विश्वास नहीं हो जाता है कि वह स्वेच्छा से की जा रही है।

* * *

भाग 4

प्रकीर्ण

20. संहिता के कुछ उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना—

* * *

(4) संहिता की धारा 167, ऐसे मामले के संबंध में जिसमें इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम में अधीन दंडनीय अपराध अंतर्वलित है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगी—

(क) उसकी उपधारा (1) में "न्यायिक मजिस्ट्रेट" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट" के प्रति निर्देश है;

(ख) उसकी उपधारा (2) में "15 दिन", "90 दिन" और "60 दिन" के प्रति निर्देश का जहां-जहां वे आते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः "साठ दिन" और "एक सौ अस्सी दिन" के प्रति निर्देश है; और

(खख) उपखंड (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:

परंतु यह और कि यदि एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करना संभव नहीं है तो अभिहित न्यायालय लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर, जिसमें अन्वेषण की प्रगति और एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि से अधिक अभियुक्त के निरोध के विनिर्दिष्ट कारण उपदर्शित किए गए हों, उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकेगा।

(ग) उसकी उपधारा (2क) का लोप किया गया समझा जाएगा।

* * *

(7) संहिता की धारा 438 की कोई बात ऐसे किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी जिसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस अभियोग पर अंतर्वलित है कि उसने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है।

(8) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक—

(क) लोक अभियोजक को किसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दे दिया जाता है; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने की संभावना नहीं है।

(9) उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के बारे में निर्बंधन, संहिता या जमानत मंजूर करने के बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निर्बंधनों के अतिरिक्त हैं।

21. धारा 3 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा—

(1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अपराध के अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि—

(क) धारा 3 में विनिर्दिष्ट आयुध या विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे आयुध या विस्फोटक या उसी प्रकृति के अन्य पदार्थ ऐसे अपराध को करने में प्रयोग में लाए गए थे; या

(ख) विशेषज्ञ के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की उंगलियों के निशान अपराध स्थल पर या किसी ऐसी चीज पर जिसके अंतर्गत ऐसे अपराध को करने के संबंध में प्रयोग में लाए गए आयुध और यान भी है, पाए गए थे;

तो अभिहित न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, यह उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध अभियुक्त ने किया है।

(2) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अपराध के अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने उस धारा के अधीन अपराध के अभियुक्त को, या युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति को, कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है

तो न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, यह उपधारणा करेगा कि उस उपधारा के अधीन अपराध ऐसे व्यक्ति ने किया है।

*   *   *

25. अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या ऐसे किसी नियम के अधीन किए गए किसी आदेश के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियमितियों या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट, इसके असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। अब हम निर्दिष्ट प्रश्नों का विनिश्चय किए जाने की बाबत विचार करेंगे।

11. टाडा अधिनियम की धारा 5

हमें जिस मुख्य संविवाद का विनिश्चय करना है वह टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय बनाए गए अपराध के वास्तविक अर्थ और इसकी परिधि से है। संविधान न्यायपीठ ने उपर्युक्त **करतार सिंह**[1] वाले मामले में इसकी सांविधानिक विधिमान्यता की अभिपुष्टि की और, इसलिए, प्रश्न आयुध अधिनियम, 1959 में समरूप उपबंध के अस्तित्वशील होते हुए भी उस उद्देश्य जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया, को दृष्टिगत करते हुए उपबंध के उचित अर्थान्वयन से संबंधित है। सुविधा के लिए टाडा अधिनियम की धारा 5 को उद्धृत किया जा सकता है—

"5. **विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुछ अप्राधिकृत आयुधों, आदि को कब्जे में रखना**—जहां कोई व्यक्ति आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 1 के प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 3(क) के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोला बारूद या बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ, किसी अधिसूचित क्षेत्र में, अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा वह, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। (अधोरेखांकित भाग पर हमने जोर दिया)

आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 1 का सुसंगत भाग जिसे टाडा अधिनियम की धारा 5 में निर्देश द्वारा अंतःस्थापित किया गया इस प्रकार है :—

अनुसूची 1

*   *   *   *

प्रवर्ग	आयुध	गोला बारूद
1	2	3
1.	(क) प्रतिषिद्ध आयुध, जो धारा 2(1) (झ) में परिभाषित हैं, और ऐसे अन्य आयुध, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिषिद्ध आयुध विनिर्दिष्ट करे।	प्रतिषिद्ध गोला बारूद जो धारा 2(1) (ज) में परिभाषित हैं, और ऐसी अन्य वस्तुएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिषिद्ध गोलाबारूद्ध विनिर्दिष्ट करे।
	(ख) अर्ध-स्वचालित अग्न्यायुध, जो उनसे भिन्न हों, जो प्रवर्ग 1(ग) और 3(क) में सम्मिलित हैं, 20 इंच से कम लम्बाई की नाल वाली चिकनी बोर की बंदूकें।	प्रवर्ग 1(ख) के लिए गोला-बारूद।
	(ग) .303 इंच या 7.62 मि॰मी॰ बोर की या किसी अन्य बोर की बोल्ट ऐक्शन वाली या अर्ध-स्वचालित राइफलें, जिन के चैंबर में .303 इंच या 7.62 मि॰मी॰ कैलिबर के सैनिक कारतूस आ सकें और जिनसे वे फायर किए जा सकें; .410 इंच बोर की या किसी अन्य बोर की मस्कट जिनसे .410 इंच की मस्कट-गोली फायर की जा सकें; किसी भी बोर की पिस्तौल, रिवाल्वर या कारबाइन, जिनके चैंबर में 380 इंच या .455 इंच के रिमदार कारतूस या 9 मि॰मी॰ का .45 इंच के बिना रिम वाले सैनिक कारतूस आ सकें और जिनसे वे फायर किए जा सकें।	प्रवर्ग 1(ग) के अग्न्यायुधों के लिए गोला बारूद।

[1] [1994] 3 उम॰ नि॰ प॰ 721=(1994) 3 एस॰ सी॰ सी॰ 569.

(घ) किसी अग्न्यायुध को फायर करने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन।

* * *

3.	अग्न्यायुध, जो उन से भिन्न हों, जो प्रवर्ग 1, 2 और 4 में दिए गए हैं, अर्थात्—	उन अग्न्यायुधों के लिए गोला बारूद जो उन से भिन्न हों जो प्रवर्ग 1, 2 और 4 में दिए गए हैं, अर्थात्
	(क) रिवाल्वर और पिस्तौलें	प्रवर्ग 3 (क) के अग्न्यायुधों के लिए गोला बारूद

* * *

टिप्पण—किन्हीं आयुध या गोला बारूद के भाग और उपसाधन और अग्न्यायुधों के लिए भरण और भरणों के लिए उपसाधन, जो उसी प्रवर्ग के होते हैं, जिस प्रवर्ग के आयुध या गोला बारूद हैं।

12. आयुध अधिनियम, 1959 में धारा 24क 1983 के अधिनियम सं० 25 द्वारा तारीख 22 जून, 1983 से अंतःस्थापित की गई। इस धारा में "विक्षुब्ध क्षेत्रों" आदि में अधिसूचित आयुधों को कब्जे में रखने की बाबत प्रतिषेध से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं; धारा 25 में "कतिपय अपराधों के लिए दंड" विहित है जिसमें ऐसे व्यक्ति के लिए दंड भी सम्मिलित है जिसने 1983 के अधिनियम सं० 25 द्वारा तारीख 22 जून, 1983 से और 1988 के अधिनियम सं० 42 द्वारा तारीख 27 मई, 1988 से धारा 7 में क्रमशः अंतःस्थापित उपधारा (1) और (1क) में के उल्लंघन में कोई प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद प्राप्त किया है, उसके कब्जे में है या रखे हुए हैं। धारा 7 प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद प्राप्त करने या कब्जे आदि में रखने को उस समय तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाए। आयुध अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) और (झ) में क्रमशः "प्रतिषिद्ध गोलाबारूद और प्रतिषिद्धि आयुध" परिभाषित हैं। आयुध अधिनियम की धारा 11 में केन्द्रीय सरकार को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयुध आदि के आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध करने के लिए सशक्त बनाया गया है जबकि धारा 12 में आयुधों के परिवहन को निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की अनुरूप शक्ति अंतर्विष्ट है। इस बाबत किसी प्रकार का संदेह नहीं कि टाडा अधिनियम की धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के आयुध और गोला बारूद आदि को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने को प्रतिषिद्धि किया गया है और ऐसा आयुध नियम और इनके अधीन विरचित नियमों में यदि आवश्यक हो तो इनका संशोधन करके किया जा सकता है और यह टाडा अधिनियम के अधिक कड़े और कठोर उपबंधों को आकृष्ट किए बिना ऐसे अपराधों के अन्वेषण और विचारण से संबंधित साधारण विधि द्वारा शासित होगा। तथापि, संसद् ने टाडा अधिनियम की धारा 5 को अधिनियमित करने का मार्ग पसंद किया जिसके परिणामस्वरूप अन्वेषण, विचारण और अपराधों के दंड को टाडा अधिनियम में इस बाबत उपबंध करके और अधिक कठोर बनाया गया है। संक्षेप में, टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विहित और दंडनीय बनाया गया अपराध अधिक गंभीर है और इनके अन्वेषण और विचारण के लिए अधिक कठोर दंड उपबंधित हैं। इस अंतर के कारण "टाडा" की धारा 5 द्वारा विहित अपराध के वास्तविक अर्थ और व्याप्ति और इस संदर्भ में अभियुक्त के अधिकारों के बारे में संविवाद किया गया है।

13. "टाडा" अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध के संघटक इस प्रकार हैं: (i) कोई विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि कब्जे में रखना, (ii) अप्राधिकृत रूप से, (iii) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में। यदि अपराध के इन संघटकों को साबित कर दिया जाता है, तो अभियुक्त, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी, कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा। स्वीकृततः यह दंड जो कि कोई विनिर्दिष्ट आयुध आदि अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिए कम से कम पांच वर्ष का कठोर कारावास जिसे अधिकतम रूप से आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है आयुध अधिनियम के अधीन तत्संबंधी अपराध के दंड की तुलना में अधिक कठोर है। इसके अतिरिक्त, टाडा अधिनियम के अन्य उपबंधों जिनमें अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे कुछ साक्ष्य की ग्राह्यता सम्मिलित है जोकि साधारण विधि के अधीन ग्राह्य नहीं और जिनमें अन्वेषण पूरा किए जाने में अधिक समय लगाए जाने के लिए भी उपबंध है जिससे अभियुक्त लम्बे समय तक अभिरक्षा में रहता है और जिससे अभियोजन पक्ष पर टाडा अधिनियम के अधिक कठोर उपबंधों के कारण टाडा अधिनियम के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अधिक कड़ाई के साथ कार्य करने का दायित्व आ जाता है।

14. टाडा अधिनियम देश में बढ़ते हुए आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया। इस युक्तियुक्त विश्वास के लिए कि इन क्रियाकलापों को शत्रु विदेशी अभिकरणों द्वारा भी देश में इस प्रकार के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राणहर और खतरनाक आयुध और पदार्थों का प्रदाय करके और सहायता करके प्रोत्साहन किया जा रहा है सामग्री भी उपलब्ध है। अतः समय की विशेष आवश्यकता राष्ट्र के हित और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिकारों के मध्य उचित संतुलन स्थापित करने की है। इस संदर्भ में ऐसे व्यक्ति के अधिकारों का जिसके कब्जे में ऐसा कोई आयुध या पदार्थ पाया जाता है किसी आतंकवादी या विध्वंसक क्रियाकलाप में अंतर्वलित होने की उसकी निर्दोषिता को साबित करने के लिए अवधारण किया जाना चाहिए।

15. अतः इस अधिनियम के किसी उपबंध के किए गए अर्थान्वयन से इसके अधिनियमित किए जाने के उद्देश्य की अभिवृद्धि होनी चाहिए ताकि तंत्र इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस प्रवर्ग में नहीं आता है टाडा अधिनियम के कठोर उपबंधों की क्रूरता की चपेट में न आने पाए उन व्यक्तियों से जो आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों में अंतर्वलित हैं या उनसे संबद्ध है प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ बन सकें। अतः इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसके मामले में टाडा अधिनियम के उपबंधों के अधीन विचार किया जा रहा है और जिसे इनके अनुसार अभियोजित किया जा रहा है साधारणतः यह दर्शित करने का अवसर

प्रदान किया जाना चाहिए कि वह टाडा अधिनियम द्वारा शासित व्यक्तियों के प्रवर्ग में नहीं आता है। इस प्रकार के उपाय से यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभिप्रेत रूप से इसके उपबंधों द्वारा शासित होता है टाडा अधिनियम के उपबंधों से बचने न पाए और साथ ही वे व्यक्ति जो इसके उपबंधों के अंतर्गत नहीं आते हैं इसकी परिधि में आने न पाए। यही इस अधिनियमिति का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार के उपाय से अधिनियमिति के उद्देश्य में तो अभिवृद्धि होगी ही इसका दुरुपयोग भी रुकेगा और इसका गलत प्रयोग नहीं हो सकेगा। ऐसा खतरा परिकाल्पनिक नहीं है अपितु टाडा अधिनियम के उपबंधों के दुरुपयोग के आंकड़ों द्वारा समर्थित गंभीर अभिकथनों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भी इस बाबत व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए वास्तविक है।

16. ऐसे अर्थान्वयन को स्वीकार करना न्यायालयों का कर्तव्य है जिससे विधान के उद्देश्य की अभिवृद्धि हो और उन्हें इसके संभावित दुरुपयोग को भी रोकना चाहिए यद्यपि किसी उपबंध के दुरुपयोग की मात्र संभावना से इसकी सांविधानिकता अथवा अर्थान्वयन प्रभावित नहीं होता है। इस दुरुपयोग को निरंतर सतर्कता और प्रत्येक मामले पर अलग से विचार करके नियंत्रित किया जाना चाहिए और ऐसा उपयुक्त तंत्र द्वारा उच्च स्तर पर मामलों की छानबीन करके किया जा सकता है। यह बात उल्लेखनीय है कि कुछ राज्यों में उपर्युक्त करतार सिंह[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के पश्चात् ऐसे सभी मामलों की छानबीन करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समितियां गठित की गई हैं। यह आशा की जाती है कि यही कार्रवाई संपूर्ण देश के सभी राज्यों में की जाएगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति जिन्हें दुरुपयोग के दृष्टांतों का पता चले विशिष्टियों सहित ऐसे दृष्टांतों को तंत्र की जानकारी में लाकर सहायता प्रदान कर सकते हैं ताकि तत्काल और प्रभावी उपचार किया जा सके। तथापि विधि की दृष्टि में इसकी सांविधानिकता की बाबत संदेह करने या उचित अर्थान्वयन में परिवर्तन करने का यह कारण नहीं है जबकि संसद् ने देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरनाक आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने के लिए और उन्हें रोकने के लिए ऐसी विधि अधिनियमित करने की आवश्यकता महसूस की।

17. शास्तिक उपबंधों के अर्थान्वयन का स्थिर नियम यह है कि यदि युक्तियुक्त निर्वचन से किस विशिष्ट मामले में शास्ति का निवारण होता है, तो हमें "उस अर्थान्वयन को अपनाना चाहिए और यदि दो युक्तियुक्त अर्थान्वयन हैं, तो हमें अधिक उदार अर्थान्वयन को अपनाना चाहिए", और यदि किसी शास्तिक उपबंध के दो संभावी और युक्तियुक्त अर्थान्वयन किए जा सकते हैं, तो न्यायालय को उस अर्थान्वयन को अपनाना चाहिए जिससे शास्ति का निवारण होगा न कि उस अर्थान्वयन को जो शास्ति अधिरोपित करेगा। इस संबंध में लंडन

[1] [1994] 3 उम० नि० प० 721= (1994) 3 एस० सी० सी० 569.

एंड नार्थ ईस्टर्न रेलवे बनाम बेरीमन[1], तोलाराम रेलुमल और एक अन्य बनाम स्टेट आफ बाम्बे[2] और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मैसर्स आजाद भारत फाइनेंस कंपनी और एक अन्य वाले[3] मामले दृष्टव्य हैं।

18. निरंजन सिंह कर्म सिंह पंजाबी बनाम जितेन्द्र भीमराज बिजय्या और अन्य[4] वाले मामले में शास्तिक कानूनों के अर्थान्वयन के स्थिर नियम को लागू करते हुए इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने जिसने हम में से (एक) (न्यायमूर्ति अहमदी) सम्मिलित था टाडा अधिनियम के कतिपय उपबंधों का अर्थान्वयन करते हुए नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया:—

> "यह अधिनियम शास्तिक कानून है। इसके उपबंध इस अर्थ में कठोर हैं कि इनमें न्यूनतम दंड और कतिपय मामलों में वर्धित दंड भी उपबंधित हैं। इसमें ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष जो पुलिस अधीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं है किए गए संस्वीकृति संबंधी कथनों को साक्ष्य में ग्राह्य बनाया गया है और इसमें धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में वर्णित तथ्यों के सबूत के आधार पर खंडनीय उपधारणा किए जाने का भी उपबंध किया गया है। ऐसे अभियुक्त की पहचान जिसका फोटो द्वारा पता नहीं चलता है के संबंध में भी उपबंध किया गया है। आतंकवाद के खतरे के निवारण की दृष्टि से भी अधिनियम में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ये उपबंध साधारण विधि से अलग हट कर हैं चूंकि उक्त विधि को अपर्याप्त पाया गया और यह आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों में रत अपराधियों के विशेष वर्ग से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है। अतः, इस बाबत किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि विधायिका ने ऐसे अपराधों को गंभीर प्रकृति के अपराध माना जिनका साधारण विधि के अधीन निवारण या नियंत्रित नहीं किया जा सकता था और इनसे निपटने के लिए भयोपरापी उपबंध अधिनियमित किए। अतः, विधायिका ने ऐसे विशेष उपबंध किए जो कतिपय मामलों में कठोर कहे जा सकते हैं और ऐसे मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटारे के लिए विशेष न्यायालय बनाए तथा दोष की उपधारणा करने के लिए उपबंध किया, जमानत पर अपराधी के छोड़े जाने के संबंध में अतिरिक्त निर्बंधन लगाए और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से प्रक्रिया में उपयुक्त परिवर्तन किए। यह सुस्थिर है कि ऐसे कानूनों का जो विधि के अधीन दांडिक अपराध के लिए कारावास अधिरोपित करते हैं। नियमनिष्ठ रूप में अर्थान्वयन किया जाना चाहिए...अतः जब विधि में किसी व्यक्ति को गंभीर शास्तिक परिणामों को भोगने का उपबंध हो, तो यह सुनिश्चित करने की बाबत विशेष सावधानी बरती जानी चाहिये कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें

[1] [1946] 1 आल० ई० /आर० 255 (एच०एल) 270.

[2] [1955] 1 एस० सी० आर० 158.

[3] ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 276-[1966] (सप्ली० एस० सी० आर० 473.

[4] (1990) 4 एस० सी० सी० 76.

> विधायिका कानून की अभिव्यक्त भाषा के अंतर्गत नहीं लाना चाहती थी विधि की भाषा को व्यापक बनाकर आलिप्त न किये जाएं....।" (पृष्ठ 85-86)

हम ससम्मान टाडा अधिनियम के उपबंधों का अर्थान्वयन करने के संबंध में उपर्युक्त विचार से पूर्णतः सहमत हैं।

19. इस परिप्रेक्ष्य में हमें टाडा अधिनियम की धारा 5 द्वारा सर्जित अपराध के संघटकों को वर्णित करना और अभियुक्त के इस आरोप से स्वयं की रक्षा करने के अधिकार की व्यापकता पर विचार करना है। हम टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध के संघटकों को पहले ही उपवर्णित कर चुके हैं।

20. ऐसे किसी आयुध आदि के "कब्जे" के प्रथम संघटक के अर्थ की बाबत विवाद नहीं है। यद्यपि "कब्जा" शब्द से पूर्ण "जानबूझकर" सरीखा कोई विशेषण नहीं है, फिर भी यह सामान्य आधार है कि इस संदर्भ "कब्जा" शब्द से अपेक्षित मानसिक तत्व के साथ कब्जा अभिप्रेत है अर्थात् सचेत (संज्ञान) कब्जा न कि ऐसे कब्जे की प्रकृति से अवगत हुए बिना मात्र अभिरक्षा। तदनुसार टाडा अधिनियम की धारा 5 में "कब्जे" के संघटक से सचेत कब्जा अभिप्रेत है। इस प्रकार किसी अप्राधिकृत पदार्थ के मात्र कब्जे के कारण पूर्ण दायित्व वाले कानूनी अपराध के समरूप संदर्भ में कब्जे के संघटक पर प्रकाश डाला गया। **वारनर** बनाम **मेट्रोपोलिटन पुलिस कमिश्नर**[1] और **संबा शिवम्** बनाम **पब्लिक प्रोजिक्यूटर, फेडरेशन आफ मलाया**[2] वाले मामले दृष्टव्य हैं।

21. अगला संघटक यह है कि ऐसे आयुध आदि का कब्जा "अप्राधिकृत" होना चाहिये। इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। इस संदर्भ में अप्राधिकृत कब्जे से विधि के प्राधिकार बिना कब्जा अभिप्रेत है। इस बाबत भी कोई विवाद नहीं है। कठिनाई इसके पश्चात् उत्पन्न होती है। "किसी अधिसूचित क्षेत्र में" ऐसे किसी आयुध आदि का इस प्रकार अभिप्रेत कब्जा अपराध गठित करता है। इस अंतिम संघटक के वास्तविक अर्थ की बाबत ही वास्तविक संविवाद है।

22. धारा 2(1) (च) में परिभाषित "अधिसूचित क्षेत्र" से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अधिनियम में इस प्रकार का कोई अभिव्यक्त संकेत नहीं है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करने की इस शक्ति का प्रयोग किस रीति में करेगी। विद्वान् अपर महासालिसिटर द्वारा यह ठीक ही निवेदन किया गया कि राज्य सरकार जिस रीति में इस शक्ति का प्रयोग करेगी उसकी बाबत अनुमान उसके उद्देश्य को जिससे यह आवश्यक विवक्षा द्वारा स्पष्ट है दृष्टिगत करते हुए और संपूर्ण अधिनियमिति का परिशीलन करके लगाया जाना चाहिये। उसने यह निवेदन किया कि यह संकेत है कि राज्य सरकार इसमें आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के संदर्भ में विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि जो अपनी अंतर्निहित प्रकृति में प्राणहर और खतरनाक हैं और जिनसे आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों का किया जाना सुकर बनता है। अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ले जाने और उनकी उपलब्धता को नियंत्रित करने की दृष्टि से इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट क्षेत्र घोषित कर सकती है। उसने यह निवेदन किया कि विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के आयुध और गोलाबारूद आदि का अप्राधिकृत कब्जा आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप किये जाने को सुकर बनाता है और इसलिये ऐसा क्षेत्र जो ऐसे क्रियाकलापों के लिये अधिक खुला है इस क्षेत्र में इस प्रकार के अप्राधिकृत आयुधों और पदार्थों की उपलब्धता को रोकने की दृष्टि से अधिसूचित है। विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह निवेदन किया कि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप किये जाने के लिये किसी अधिसूचित क्षेत्र के अत्यधिक रूप से खुला होने के इस तथ्य के कारण ही इसमें विनिर्दिष्ट आयुधों आदि के मात्र अप्राधिकृत कब्जे को पूर्ण दायित्व का कानूनी अपराध बनाया गया है। उसकी इस दलील के आधार पर टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दोषसिद्धि "किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र" में किसी विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि के सचेत "अप्राधिकृत रूप से", "कब्जे" के सबूत के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा की जानी चाहिये। हमारे विचार में विद्वान् अपर महासालिसिटर की यह दलील कि धारा 2(1) (च) के अधीन राज्य सरकार की किसी क्षेत्र को अधिसूचित करने की शक्ति का संबंध अधिसूचित क्षेत्र में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने से है सुआधारित है अन्यथा राज्य सरकार की शक्ति अनियंत्रित और अमार्गदर्शित होगी जिसके परिणामस्वरूप धारा 5 दोषपूर्ण बन जाएगी।

23. याची के विद्वान् काउंसेल श्री कपिल सिबल ने यह निवेदन किया कि किसी "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" में ऐसी किसी विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि का अप्राधिकृत सचेत कब्जा अवश्यमेव ही किसी आतंकवादी अथवा विध्वंसक क्रियाकलाप से या इससे संबद्ध नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त के लिये यह दर्शित करना संभव होगा कि अप्राधिकृत कब्जे का उद्देश्य भिन्न था उदाहरणार्थ आत्मरक्षा। उसने यह निवेदन किया कि अभियुक्त को विधि की दृष्टि में ऐसी प्रतिरक्षा करने और इसे साबित करने का अवश्य ही अवसर प्राप्त होना चाहिये। श्री सोली जे० सोराबजी द्वारा न्यायमित्र के रूप में और राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा अपने लिखित निवेदनों में धारा 5 का सुझाया गया अर्थान्वयन एक जैसा है। श्री सिबल ने आगे यह निवेदन किया कि जब तक अभियुक्त को टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय गंभीर अपराध के लिये अपनी निर्दोषिता साबित करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता, यह टाडा अधिनियम की उक्त धारा का संकुचित अर्थान्वयन होगा। यद्यपि उसे आयुध अधिनियम के अधीन ऐसे आयुध और गोलाबारूद आदि के मात्र अप्राधिकृत कब्जे के लिये दंडित किया जा सकता है, यह उपबंध मनमाने पन के कारण दोषपूर्ण है क्योंकि इसका अधिनियमिति के उद्देश्य से संबंध नहीं है।

24. दोनों ओर से अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में विभिन्न प्रकार के तर्क दिये गये। विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह दलील दी कि टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय अपराध के लिये विचारण किये जाने वाले अभियुक्त को ऐसा कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है जबकि दूसरे

---

[1] (1969) 2 ए० सी० 256.

[2] (1950) ए० सी० 458.

पक्ष के काउंसेलों ने इससे भिन्न दलील दी। इस संविवाद का समाधान अपराध के तृतीय संघटक अर्थात् "अधिसूचित क्षेत्र" के महत्व और वास्तविक अर्थ में निहित है।

25. हम उस रीति और प्रयोजन को जिसके लिये कोई विनिर्दिष्ट क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) (च) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है पहले ही उपदर्शित कर चुके हैं। ऐसा इस तथ्य के प्रति निर्देश करके किया जाता है कि अधिसूचित क्षेत्र आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के किये जाने और उनमें वृद्धि के लिये अधिक खुला (प्रवण) है। इस आधार पर "किसी अधिसूचित क्षेत्र" का अनधिसूचित क्षेत्रों से भिन्नतः वर्गीकरण किया जाता है और इसका वर्गीकरण के उद्देश्य से युक्तियुक्त संबंध है। अतः इस प्रकार के क्रियाकलापों का उस क्षेत्र के अन्तर्गत किसी विशेष अपराध के किये जाने से संबंध होना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचित क्षेत्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र घोषित किया जाना उसके समाधान पर आधारित है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्षेत्र आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों और इनमें अभिवृद्धि के लिये खुला है। राज्य सरकार द्वारा यह राय अवश्य ही आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के प्रति निर्देश करके निर्मित की जानी चाहिये क्योंकि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ही ताकि विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि उस क्षेत्र में न पहुंच सकें धारा 5 अधिनियमित की गई है। किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिये तथ्यपरक आधार के होने की धारा 5 के प्रयोजनार्थ उपधारणा की जानी चाहिये अन्यथा प्रत्येक मामले में सबूत की आवश्यकता होगी। धारा 5 के अधीन अपराध के तृतीय संघटक का यही वास्तविक महत्व है।

26. किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार के आयुध और गोलाबारूद आदि के अप्राधिकृत कब्जे का महत्व यह है कि यह कानूनी उपधारणा उत्पन्न होती है कि आयुध आतंकवादी या विध्वंसक कार्य किये जाने के लिये प्रयोग किया जाना था। ऐसा इसलिये कि क्षेत्र के आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के लिये खुला होने के कारण अधिसूचित क्षेत्र के भीतर प्राणहर और खतरनाक प्रकार के आयुध और इस ज्ञान के साथ इसके अप्राधिकृत कब्जे को निषिद्ध किया गया है। यह कानूनी उपधारणा टाडा अधिनियम की धारा 5 द्वारा सर्जित अपराध के तृतीय संघटक का सारतत्व है। अब प्रश्न इस कानूनी उपधारणा की प्रकृति के बारे में उत्पन्न होता है।

27. अब यह स्थिति स्पष्ट है कि टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय बनाया गया अपराध गठित करने के लिये अभियोजन पक्ष को पूर्वोक्त तीनों संघटक साबित करने चाहिएं। अभियोजन पक्ष द्वारा एक बार किसी "अधिसूचित क्षेत्र" में किसी प्रकार के विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि का अभियुक्त द्वारा "अप्राधिकृत" और "सचेत कब्जा" साबित हो जाने पर, दोषसिद्धि इस उपधारणा पर की जाएगी जब तक कि अभियुक्त अपराध के किसी संघटक को गठित करने के लिये आवश्यक तथ्य के न होने को साबित न कर दे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभियुक्त तथ्य के न होने की प्रतिरक्षा प्रस्तुत कर सकता है जो कि अभियुक्त द्वारा साबित किये जाने वाले अपराध का संघटक है।

28. प्रथम दोनों संघटकों को गठित करने के आवश्यक तथ्यों के बारे में कोई संविवाद नहीं है। अपराध के तृतीय संघटक को गठित करने वाले तथ्यों के न होने को साबित करने के लिये, अभियुक्त उपर्युक्त कानूनी उपधारणा का खंडन करने और यह साबित करने का हकदार होगा कि उसके द्वारा ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद आदि के अप्राधिकृत कब्जे का किसी आतंकवादी या विध्वंसक क्रियाकलाप से पूर्णतः कोई संबंध नहीं था और न ही इसे उस क्षेत्र में प्रयोग किया गया और न ही यह ऐसे किसी प्रयोग के लिये था और यह "अधिसूचित क्षेत्र" में अनापकारी है। चाहे अभियुक्त पर तृतीय संघटक के न होने को साबित करने का भार कितना भी क्यों न सही विधि की दृष्टि में उसे यह अधिकार प्राप्त है जो कि अभियुक्त को प्रत्येक प्रकार के अभियोजन में उस अपराध के संघटक को जिसके लिये उसका विचारण किया जा रहा है। गठित करने के लिये आवश्यक तथ्य के न होने को साबित करने के मूलभूत अधिकार से उत्पन्न होता है। यदि अभियुक्त किसी अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद आदि के अपने अप्राधिकृत कब्जे के पश्चात् मात्र तृतीय संघटक को गठित करने के लिये आवश्यक तथ्यों के न होने को साबित करने में सफल रहता है, तो उसे टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन सिद्धदोष घोषित नहीं किया जा सकता है और साधारण विधि के अधीन ही उसे दंडित किया जाएगा। स्पष्टतः इस प्रकार की स्थितियों को देखते हुए ही धारा 12 टाडा अधिनियम में सम्मिलित की गई।

29. टाडा अधिनियम की धारा 5 में दिये गये सर्वोपरि खंड से यह दर्शित है कि किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार के विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि के अप्राधिकृत कब्जे से संबंधित साधारण विधि का उस क्षेत्र के लिये विशेष अधिनियमिति अर्थात् टाडा अधिनियम द्वारा अधिक्रमण किया जा सकता है। यदि टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध गठित करने वाले तृतीय संघटक को अभियुक्त द्वारा अस्वीकार किया जाता है जबकि प्रथम दोनों संघटक साधारण विधि अर्थात् आयुध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध सिद्ध करने के लिये साबित हो जाते हैं, तो अभिहित न्यायालय टाडा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार स्थिति से निपटने के लिये सशक्त है। स्वयं धारा 12 से यह दर्शित है कि संसद् ने ऐसी स्थिति की परिकल्पना की जिसमें टाडा अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण किए जाने वाले व्यक्ति को अंततः किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय किसी प्रकार का अन्य अपराध किए जाने का दोषी पाया जाता है और उस स्थिति में अभिहित न्यायालय ऐसी अन्य विधि के अधीन अभियुक्त को दंडित करने के लिए सशक्त है। टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध गंभीर है और इसके लिए सामान्य विधि के अधीन समनुषंगी अपराध के देखने में दंड अधिक कठोर है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आतंकवादी या विध्वंसक कार्य के लिए ऐसे आयुध और गोलाबारूद के दुरुपयोग की प्रवणता गुरुतर है। यदि ऐसे प्रयोग की उपधारित प्रवणता से अभियुक्त द्वारा इनकार किया जाता है, तो अपराध साधारण विधि के अधीन आएगा और इसके अधीन ही दंडनीय होगा। ऐसी स्थिति, में, अभियुक्त को उसी रीति में दंडित किया जाएगा जिसमें ऐसे किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जिसके अप्राधिकृत कब्जे में अधिसूचित क्षेत्र से बाहर ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद आदि पाए जाते हैं। विधि की उपधारणा ऐसे किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर जो आतंकवादी अथवा

विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए अधिक खुला है इनके अप्राधिकृत कब्जे से उत्पन्न गुरुतर और वास्तविक खतरे की बाबत है।

30. टाडा अधिनियम अधिनियमित करने के उद्देश्य और कारणों के कथन में स्पष्टतः यह वर्णित है:—

"......यह भी उपबंधित करना प्रस्थापित है कि अभिहित न्यायालय उस समय तक यह उपधारित करेगा जब तक कि यह प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए कि अभियुक्त ने अपराध किया था जहां धारा 3 में विनिर्दिष्ट आयुध या विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ उसके कब्जे से बरामद हुए या जहां विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा अभियुक्त की उंगलियों के निशान अपराध स्थल पर पाए गये अथवा जहां किसी सह-अभियुक्त द्वारा यह संस्वीकृति की गई कि अभियुक्त ने अपराध किया था अथवा जहां अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की थी....।" (अधोरेखांकित भाग पर हमने जोर दिया)

31. उपर्युक्त उद्धरण से टाडा अधिनियम में धारा 21 जिसमें टाडा अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराधों से संबंधित कानूनी उपधारणा सर्जित करते हुए अधिनियमित किये जाने के प्रयोजन का स्पष्ट रूप से पता चलता है। यदि यह साबित हो जाता है कि आयुध या विस्फोटक या धारा 3 में विनिर्दिष्ट कोई अन्य पदार्थ कहीं से भी अभियुक्त के कब्जे से बरामद किये गये और ऐसा विश्वास करने का कारण है कि ऐसे आयुध या विस्फोटक या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ ऐसा अपराध किये जाने में प्रयोग किये गये थे, तो मात्र कब्जे के सबूत पर न कि इनके प्रयोग किये जाने पर कानूनी उपधारणा जो उत्पन्न होगी वह धारा 5 के अधीन लघुतर अपराध की है और वह भी जब कब्जा ऐसे किसी अधिसूचित क्षेत्र में जो आतंकवादी या विध्वंसक क्रियाकलापों के लिए अधिक खुला है अप्राधिकृत है। धारा 21 के कारण धारा 3 के अधीन कोई अपराध किए जाने से उद्भूत उपधारणा को अभिव्यक्ततः खंडनीय बनाया गया है और अभियुक्त फिर भी धारा 3 के अधीन अपराध का संघटक गठित करने के लिए आवश्यक तथ्य के न होने को साबित कर सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर, किसी अधिसूचित क्षेत्र में अप्राधिकृत कब्जे के तथ्य के सबूत पर धारा 5 के अधीन छोटे अपराध से उद्भूत कानूनी उपधारणा खंडन किए जाने योग्य उपधारणा होगी और इसके बल पर अभियुक्त यह साबित कर सकता है कि आयुध किसी प्रकार के आतंकवादी या विध्वंसक कार्य में प्रयोग किए जाने के लिए नहीं था। जहां इसके कब्जे के अतिरिक्त वास्तविक प्रयोग को साबित कर दिया गया है, उपधारणा धारा 3 के अधीन अपराध की होगी और धारा 3 के अधीन अपराध का संघटक गठित करने के लिए अपेक्षित किसी तथ्य के न होने को साबित करने का भार अभियुक्त पर है। यह अंतर कि धारा 3 के अधीन अपराध कहीं भी किया जा सकता है। किंतु धारा 5 के अधीन केवल अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ही महत्वपूर्ण है। धारा 21 की अधिनियमिति से भी इस विचार का समर्थन होता है कि अपेक्षित तथ्यों के सबूत पर धारा 5 के अधीन अपराध किए जाने से उद्भूत कानूनी उपधारणा खंडन किए जाने योग्य है न कि यह अखंडनीय उपधारणा है। यदि धारा 21 के कारण धारा 3 के अधीन किसी अपराध से उद्भूत उपधारणा अभिव्यक्तः खंडन किए जाने योग्य बनाई गई है, तो ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि धारा 5 के अधीन अपराध की उपधारणा क्यों अखंडनीय होगी और यह क्यों नहीं खंडन किए जाने योग्य। तथापि अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध धारा 3 के अधीन अपराध की अपेक्षा कम गम्भीर है। यह अर्थान्वयन भी अधिमान दिए जाने योग्य है क्योंकि कानून शास्तिक प्रकृति का है। धारा 5 के अधीन कानूनी उपधारणा का खंडन किए जाने की बाबत अभियुक्त पर भार और इसकी प्रकृति उतनी है जितनी कि धारा 21 के कारण अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपराध से उद्भूत उपधारणा की बाबत।

32. यह स्पष्ट है कि धारा 5 में इस प्रकार की कानूनी उपधारणा का परिशीलन कानून की स्कीम के अनुरूप है और धारा 5 का इस संदर्भ में परिशीलन कानूनी उपधारणा को स्वयं में अस्पष्ट बनाता है। धारा 21 के ये स्पष्ट शब्द कि "अभिहित न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है, यह उपधारणा करेगा।" यह स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि इसके अधीन उपधारणा खंडन किए जाने योग्य उपधारणा है। टाडा अधिनियम की धारा 21 की भाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 की भाषा से भिन्न है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 की भाषा से यह दर्शित है कि इसके अधीन उपधारणा अखंडनीय है जबकि टाडा अधिनियम की धारा 21 के अधीन उपधारणा खंडन किए जाने योग्य है। यह अवेक्षणीय है कि धारा 5 केवल उसी दशा में आकृष्ट होती है यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में प्रवर्ग 1 के कालम 2 और 3 में विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद या आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 1 के प्रवर्ग 3(क) में दिए गए आयुध और गोलाबारूद जो कि प्रतिषिद्ध आयुध, अर्ध स्वचालित अग्न्यायुध, चिकनी बोर की बंदूकें बोल्ट ऐक्शन या कतिपय प्रवर्गों की अर्धस्वचालित राइफलें, रिवाल्वर और पिस्तौल और उनके गोलाबारूद या बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ जो कि अंतर्निहित रूप में अत्यधिक खतरनाक आयुध हैं अप्राधिकृत रूप से कब्जे में पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी आयुध साधारण प्रयोग के लिए या रखे जाने के लिए नहीं है। अतः कानूनी उपधारणा भी युक्तियुक्त है।

33. उपर्युक्त **संबा शिवम्** बनाम **पब्लिक प्रोजिक्यूटर, फेडरेशन आफ मलाया**[1] वाले मामले में अभियुक्त को अग्न्यायुध ले जाने और 10 चक्र गोलाबारूद कब्जे में रखे जाने से आरोपित किया गया था और इसलिए उसे इमरजेंसी रेग्युलेशन्स, 1948 के विनियम 4 के उपविनियम 1 के अधीन सिद्धदोष घोषित किया गया। यह उपबंध इस प्रकार है:—

*"4 (1). कोई भी व्यक्ति जो ले जाएगा या जो अपने कब्जे में रखेगा या अपने नियंत्रण में रखेगा—

(क) ऐसा कोई भी अग्न्यायुध रखेगा जो कि ऐसा

---

[1] (1950) ए॰ सी॰ 458.

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है:—

"4. (1) Any person who carries or who has in his possession or under his control—

(a) any fire-arm, not being a fire-arm

अग्न्यायुध नहीं है जिसे ले जाने के लिए या जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य लिखित विधि के अधीन रखने के लिए वह सम्यक् रूप में अनुज्ञप्त है; अथवा

(ख) किसी प्रकार का गोलाबारूद या विस्फोटक इसके विधिपूर्ण प्राधिकार बिना,

इन विनियमों में दिए गए अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर उसे मृतयु से दंडित किया जाएगा।"

प्रिवी कौंसिल ने अभियुक्त की अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया:—

"अपीलार्थी की ओर से दी गई एक अन्य दलील जिस पर यहां विचार किया जाना उपयुक्त रहेगा ऐसा अग्न्यायुध ले जाने के अपराध की प्रकृति की बाबत था जिसके लिए अपीलार्थी को सिद्धदोष घोषित किया गया। यह दलील दी गई कि प्रश्नगत अग्न्यायुध को आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग करने या इसका इस प्रकार प्रयोग किए जाने का आशय इस अपराध का आवश्यक संघटक था और यह कि साक्ष्य इस आशय को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त था। इस दलील के समर्थन में भारतीय न्यायालयों के अनेक विनिश्चय उद्धृत किए गए तथापि वे विभिन्न अधिनियमितियों से संबंधित हैं और न्यायालय की राय में से वर्तमान मुद्दे के अवधारण में सहायक नहीं है क्योंकि वे मुद्दे इमरजेंसी रेग्युलेशन्स (आपात विनियमों) के विनियम 4 के उपविनियम 1 के वास्तविक अर्थान्वयन पर आधारित है। तात्विक शब्द इस प्रकार हैं:— 'कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कोई भी अग्न्यायुध ले जाएगा......जो कि ऐसा अग्न्यायुध नहीं है जिसे ले जाने के लिए वह सम्यक् रूप में अनुज्ञप्त है......अपराध का दोषी होगा....।' सम्राट की ओर से यह स्वीकार किया गया और न्यायालय की राय में यह ठीक ही स्वीकार किया गया कि यहां 'ले जाना' अभिव्यक्ति से 'अपनी जानकारी में ले जाना' अभिप्रेत है और यह कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अग्न्यायुध ले जाना जो यह नहीं जानता कि वह क्या ले जा रहा है इस उपबंध के अधीन अपराध गठित नहीं करेगा। तथापि, विनियम में ऐसे किसी विशेष आशय की बाबत कुछ नहीं कहा गया है और न्यायालय ऐसा कोई आधार खोज पाने में असमर्थ है जिसके आधार पर ऐसा आशय, विवक्षा के रूप में अपराध का तत्व माना जाए। आपात विनियम कठोर संहिता है जिसे गंभीर प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है और न्यायालय के पास यह कल्पना करने का कोई कारण नहीं है कि विनियम 4 का उपविनियम सर्वथा अग्न्यायुध ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आशयित नहीं था यदि इसका प्रयोग जानते हुए और विधिपूर्ण प्राधिकार बिना किया गया।" (पृष्ठ 469-70) (अधोरेखांकित भाग पर हमने जोर दिया है)

which he is duly licensed to carry or possess under any other written law for the time being in force; or

(b) any ammunition or explosives without lawful authority therefor,

Shall be guilty of an offence against these Regulations and shall on conviction be punished with death."

34. "ले जाना या रखना" संघटक की अपेक्षा के रूप में जानकारी के मानसिक तत्व का इस उपबंध में परिशीलन किया गया किन्तु अपराध के तत्व के रूप में विवक्षित रूप में किसी विशेष आशय की अपेक्षा को अस्वीकार कर दिया गया। यह अर्थान्वयन टाडा अधिनियम की धारा 5 सरीखे उपबंध का किया गया जहां समरूप विधान में अपराध के लिए मृत्यु शास्ति उपबंधित की गई। सिद्धांततः जैसा कि हमने उपदर्शित किया टाडा अधिनियम की धारा 5 में खंडन किए जाने योग्य उपधारणा का ही मात्र परिशीलन किया जाना अपेक्षित है।

35. इस संदर्भ में **लुई बीवर बनाम हर मेजेस्टी द क्वीन**[1] वाले मामले में कनाडा की उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के प्रति निर्देश करना उपयुक्त रहेगा। इस मामले में अपराध प्रतिषिद्ध स्वापक पदार्थ के कब्जे से संबंधित था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि जानकारी का तत्व कब्जे के संघटक का भाग होगा जबकि पदार्थ का मात्र कब्जा अपराध की कोटि में आएगा। तथापि, यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह अधिनियमित करना संसद् की शक्ति के अंतर्गत है कि बिना किसी दूषित जानकारी के मात्र शारीरिक कब्जा अपराध गठित करेगा तथापि उस समय तक संसद् का ऐसा आशय नहीं माना जाएगा जब तक कि कानून के शब्द स्पष्ट न हों और उनसे कोई अन्य निर्वचन सम्भव न हो। हमने टाडा अधिनियम की धारा 5 में "कब्जा" संघटक का अर्थ "सचेत कब्जा" लिया है। इस विनिश्चय से भी इस सिद्धांत की पुष्टि होती है कि प्रतिषिद्ध पदार्थ का मात्र सचेत कब्जा अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है और टाडा अधिनियम सरीखे कानून में धारा 5 द्वारा सर्जित अपराध असाधारण या संकाल्पनिक रूप से अननुज्ञेय नहीं है। तथापि, यही स्थिति मात्र विहित दंड को छोड़कर साधारण विधि में भी है।

36. टाडा अधिनियम की धारा 5 का जो अर्थान्वयन हमने किया है उससे यह दर्शित है कि इसमें पूर्ण दायित्व के साथ कानूनी अपराध सर्जित किया गया है और इसमें कोई कानूनी अपवाद नहीं है। तथापि, हमने यह मत भी व्यक्त किया कि अभियुक्त को टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध का संघटक गठित करने के लिए आवश्यक तथ्य के न होने को साबित करने की अपनी प्रतिरक्षा के रूप में अधिकार प्राप्त है और इस प्रयोजनार्थ वह उपर्युक्त रूप में अपने विरुद्ध उपधारणा का खंडन कर सकता है। यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा वास्तव में आपवादिक प्रतिरक्षा है अथवा ऐसी प्रतिरक्षा है जिसके द्वारा ऐसे तथ्य के न होने का प्राख्यान किया गया जो कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किए जाने वाले अपराध का संघटक है विशिष्ट कानून के अर्थान्वयन पर आधारित है यदि कानून की भाषा से संसद् के आशय का

[1] [1957] एस० सी० आर० 531 (केना० एस० सी०).

स्पष्टतः पता नहीं चलता है, तब उस रिष्टि जिसका निवारण किया जाना है और "सबूत के भार को प्रभावित करने वाली व्यावहारिक विचारणाओं" और उस आपेक्षिक सुगमता या कठिनाई जिसका प्रत्येक पक्षकार इस भार का निर्वहन करते समय सामना करेगा, के संदर्भ से इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। **आर० बनाम हंट**[1] वाले मामले में ऐसी स्थिति में अर्थान्वयन के नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया गया:—

"अतः मैं यह कहते हुए स्थिति को संक्षेपतः स्पष्ट करना चाहूंगा कि वूलमिंगटन बनाम डी०पी०पी० वाले मामले में यह नियम अधिकथित नहीं किया गया कि कानूनी प्रतिरक्षा साबित करने का भार मात्र प्रतिवादी पर है यदि कानून में विनिर्दिष्टतः ऐसा उपबंधित है, कि कानून का वास्तविक अर्थान्वयन किए जाने पर, यह प्रतिवादी पर सबूत का भार डालता है यद्यपि इसमें ऐसा अभिव्यक्तः नहीं किया गया है और यह कि यदि सबूत का भार प्रतिवादी पर डाला गया है, तो यह वैसा ही भार है कि क्या मामले में संक्षेपतः अथवा अभ्यारोपण पर विचारण किया जाए अर्थात् ऐसा भार जिसका निर्वहन अधिसंभाव्यताओं की तुला पर किया जाना चाहिए।

इन मामलों में वास्तविक कठिनाई इस बाबत अवधारण किए जाने में होती है कि जब कानून में ऐसा अभिव्यक्तः उपबंधित नहीं है तो संसद् का आशय किस पर सबूत का भार डालने का है। इस प्रकार जब वह बात जिसे प्रतिरक्षा माना जाए एक खंड में अपराध सर्जित करती प्रतीत हो और किसी अन्य पश्चात्वर्ती परंतुक में इस बाबत यह त्वरित अनुमान लगाया जा सके कि अलग प्रतिरक्षा उपबंधित किया जाना आशयित है और प्रतिवादी को अलग से प्रतिरक्षा प्रस्तुत करनी चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि क्या वह इससे स्वयं को लाभान्वित करना चाहता है तो इससे विशिष्टतः अर्थान्वयन की गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी.....

* * *

....,तथापि न्यायालय ने इस बाबत सहमति व्यक्त की कि यदि कानून के भाषामूलक अर्थान्वयन से यह बात स्पष्टतः उपदर्शित नहीं है कि भार किस पर होना चाहिए, तो न्यायालय संसद् के आशय का अवधारण करने के लिए अन्य विचारणाओं पर विचार करेगा यथा वह रिष्टि जिस उद्देश्य से अधिनियम अधिनियमित किया गया और सबूत के भार को प्रभावित करने वाले व्यावहारिक विचारणा और विशिष्टतः उस सुगमता अथवा कठिनाई जिसका प्रत्येक पक्षकार भार का निर्वहन करने में सामना करेगा। मेरी समझ में अंतिम विचारणा का विशेष महत्व है क्योंकि निश्चित रूप से संसद् का आशय कभी भी यह नहीं माना जा सकता कि वह प्रतिवादी पर किसी आपराधिक मामले में अपनी निर्दोषिता को साबित करने का कठिन कर्तव्य रोपित करना चाहती है और न्यायालय को कानून की भाषा से ऐसा किसी प्रकार का अनुमान लगाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

सभी मामलों पर विचार किए जाने के उपरांत वे मामले जिनमें न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत प्रतिवादी पर है ऐसे मामले हैं जिनमें भार का निर्वहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है........।" (पृष्ठ 10 और 11 पर)

37. **डब्ल्यू० डी० मेनले बनाम स्टेट ऑफ जार्जिया**[1] वाले मामले में अमरीकी उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से भी इस मत की पुष्टि होती है कि साधारणतः ऐसे कानून में कानूनी उपधारणा को खंडन किए जाने योग्य माना जाना चाहिए।

38. आपराधिक विधिशास्त्र का यह स्थिर नियम है कि अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा में कानूनी उपधारणा खंडन किए जाने के तथ्य को साबित करने का भार इतना नहीं जितना कि अभियोजन पक्ष पर अपना पक्षकथन किसी प्रकार के युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का है और उस पर गुरुतर अधिसंभाव्यता को साबित करने का भार कम है। इस प्रकार, इस कानूनी उपधारणा का खंडन करने का भार जो अभियोजन पक्ष द्वारा इस सबूत पर कि किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार के विनिर्दिष्ट आयुध और गोलाबारूद आदि अभियुक्त के अप्राधिकृत कब्जे में थे टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसके विरुद्ध उद्भूत होगी अभियुक्त पर गुरुतर अधिसंभाव्यता का है। जब अभियोजन पक्ष इन तथ्यों को साबित कर दे, तो बस इतना ही पर्याप्त है और इसके आधार पर टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दोषसिद्धि की जाएगी जब तक कि अभियुक्त यह साबित करके कि ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद आदि का किसी आतंकवादी या विध्वंसक क्रियाकलाप के लिए न तो प्रयोग किया गया और न ही प्रयोग किया जाना था कानूनी उपधारणा का खंडन न कर दे। अभियोजन पक्ष द्वारा टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध साबित करने के लिए उसके द्वारा इनके अप्राधिकृत कब्जे का किसी विनिर्दिष्ट आतंकवादी अथवा विध्वंसक क्रियाकलाप के साथ और आगे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह संबंध विवक्षित है, जब तक कि किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ऐसे किसी आयुध आदि के अप्राधिकृत सचेत कब्जे के तथ्य और अंतर्निहित प्राणहर और खतरनाक प्रकृति और इनकी संभाव्यता की बाबत खंडन न किया जाए। उपर्युक्त **करतार सिंह**[2] वाले मामले में न्यायमूर्ति सहाय की मताभिव्यक्तियों को अभियोजन पक्ष पर किसी अन्य व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा विवक्षित संबंध को साबित करने का भार डालने के लिए या अभियोजन पक्ष के उस बात से अधिक साबित करने की अपेक्षा करने के लिए जो हम उपदर्शित कर चुके हैं व्यापक अर्थ में नहीं लिया जा सकता है।

39. हम टाडा अधिनियम की धारा 5 जिसके प्रति **पारस राम**

[1](1987) 1 आल० इ० आर० 1.

[1]73 एल० इ० डी० 575.

[2][1994] 3 उम० नि० प० 721 = (1994) 3 एस० सी० सी० 569.

बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए निर्देश किया गया और जिसमें हम में से एक (न्यायमूर्ति जे० एस० वर्मा) सम्मिलित था के अर्थान्वयन से संबंधित कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहेंगे। इस विनिश्चय के औचित्य की बाबत विद्वान अपर महासालिसिटर ने संदेह व्यक्त किया। इस विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 5 में दिए गए "आयुध और गोलाबारूद" शब्द संयोजक रूप में पढ़े जाने चाहिएं और इस अर्थ में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस प्रकार दोनों अग्न्यायुध और गोलाबारूद को कब्जे में रखने वाला व्यक्ति ही धारा 5 के अधीन दंडनीय है न कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास केवल अग्न्यायुध या मात्र गोलाबारूद है।

40. धारा 5 वहां लागू होती है "जहां कोई व्यक्ति आयुध नियम, 1962 की अनुसूची 1 के प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 3(क) से स्तंभ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोलाबारूद....किसी अधिसूचित क्षेत्र में, अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा"। प्रतिषिद्ध आयुध और गोलाबारूद विनिर्दिष्ट करने के उपरांत धारा 5 में "बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ" अभिव्यक्ति प्रयोग करके इस प्रवर्ग के अन्य पदार्थों को सम्मिलित किया गया है। यह स्पष्ट है कि किसी अधिसूचित क्षेत्र में ऐसे "किसी आयुध और गोलाबारूद" जो कि प्रतिषिद्ध हैं "या बम या डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखना प्रतिषिद्ध है। अन्य प्रतिषिद्ध पदार्थों का वियोजक रूप में परिशीलन करने पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इस संदर्भ में धारा 5 में दिए गए "आयुध और गोलाबारूद" शब्द संयोजक रूप में पढ़े जाने चाहिएं? हम ऐसा नहीं मानते।

41. आयुध नियमों की अनुसूची 1 में इसमें वर्णित आयुध और गोलाबारूद दोनों के ही प्रवर्ग विनिर्दिष्ट हैं। इसी कारण धारा 5 में "आयुध और गोलाबारूद" शब्दों को अनुसूची 1 के प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 3(क) के स्तंभ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट करते हुए प्रयोग किया गया है। "और" शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसूची 1 के स्तंभ (2) और (3) में आयुध और गोलाबारूद दोनों ही विनिर्दिष्ट हैं। धारा 5 में "कोई आयुध और गोलाबारूद " शब्दों से इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोलाबारूद अथवा दूसरे शब्दों में अनुसूची के प्रवर्ग 1 के स्तंभ (2) और (3) या प्रवर्ग 3(क) में विनिर्दिष्ट कोई आयुध या कोई गोलाबारूद अभिप्रेत है। "......विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोलाबारूद" अभिव्यक्ति में "अथवा" शब्द के बजाय "और" शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि दोनों के प्रति निर्देश अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रूप में किया गया है। इस कारण, "आयुध और गोलाबारूद" शब्दों को संयोजक के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इस तथ्य से आगे यह भी स्पष्ट है कि बम आदि सरीखे अन्य प्रतिषिद्ध पदार्थों का वर्णन करते समय "अथवा" वियोजक का प्रयोग किया गया है। इससे यह अभिप्रेत है कि प्रतिषिद्ध पदार्थ जिनमें से किसी का किसी अधिसूचित क्षेत्र में अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखना धारा 5 के अधीन अपराध है कोई विनिर्दिष्ट आयुध या उसका गोलाबारूद या बम या डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ हैं। जब तक इन शब्दों को इस रीति में संयोजक के बजाय वियोजक के रूप में न पढ़ा जाए, प्रतिषिद्ध आयुध और गोलाबारूद के अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने को प्रतिषिद्धि करने का उद्देश्य एक व्यक्ति द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध ले जाने और उसके सह-अपराधी द्वारा उसका गोलाबारूद ले जाने की मात्र युक्ति से ताकि उनमें से कोई भी धारा 5 के अंतर्गत न आ सके जबकि उन दोनों को ले जाने वालों में से प्रत्येक इस प्रकार दायी होगा सरलतापूर्वक विफल हो जाएगा। अतः हमें उपर्युक्त **पारस राम**[1] वाले मामले में अपनाए गए मत में सुधार करना चाहिए। धारा 5 के इस भाग को हमारे द्वारा व्यक्त की गई रीति में पढ़ा जाना चाहिए। ससम्मान उपर्युक्त **पारस राम**[1] वाले मामले में के विनिश्चय में सही विधि अधिकथित नहीं की गई है।

[1](1992) 4 एस० सी० सी० 662.

42. संसद् की यह परिकल्पना है कि टाडा अधिनियम की अधिनियमिति आतंकवादी, विध्वंसकारी और उनके सहयुक्तों अथवा ऐसे व्यक्तियों से भी जिनके बारे में ऐसे सहयोजन से संबंधित युक्तियुक्त रूप से आशंका की जा सकती है से निपटने के लिए आवश्यक है। कानून की शास्तिक प्रकृति को देखते हुए ऐसे अर्थान्वयन को जिसमें व्यक्ति इसके प्रवर्तन से बच सके उस अर्थान्वयन की बनिस्बत अधिमान दिया जाना चाहिए जो उसे इसमें सम्मिलित करे और इस कारण अधिनियमिति के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले न कि उस क्षेत्र से परे इसकी व्याप्ति को विस्तारित करने वाले जिसके लिए इसका प्रवर्तन आशयित है सोद्देश्य अर्थान्वयन को अपनाया जाना चाहिए। टाडा अधिनियम की धारा 5 का जो अर्थान्वयन हमने किया है वह अभियुक्त को किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर ऐसे किसी आयुध आदि को मात्र अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के द्वारा कोई अपराध किए जाने पर उसके विरुद्ध उद्भूत उपधारणा का खंडन करने का अवसर प्रदान करता है और यही बात इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन से प्रकट है। यह आपराधिक विधिशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों और अभियुक्त के सामान्यतः मान्य आधारभूत अधिकारों के अनुरूप है। हम यह कह सकते हैं कि संसद् का विधायी आशय अभियुक्त के इस बात को साबित करने के अधिकार को कि वह टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन गंभीर अपराध का दोषी नहीं है और इसलिए वह सामान्य विधि जिसमें लघुतर दंड उपबंधित है के अधीन विचारण का हकदार है अपवर्जित करना नहीं है। टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आजीवन कारावास के अधिकतम दंड के साथ किसी विनिर्दिष्ट आयुध आदि के अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखने के लिए पांच वर्ष के न्यूनतम दंडादेश का उपबंध ऐसे विधायी आशय का अनुमान लगाने के लिए स्वयं में पर्याप्त है, ऐसा और भी जब ऐसा विधायी आशय अति युक्तियुक्त हो। सबूत के भार को प्रभावित करते हुए टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन की व्यावहारिक विचारणाओं से यह उपदर्शित है कि ऐसे आयुध आदि का जो अभियुक्त किसी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर अप्राधिकृत रूप से कब्जे में रखे हुए है उसके द्वारा आशयित प्रयोग केवल उसी को मालूम होता है और अभियोजन पक्ष प्रायः इसे साबित नहीं कर पाता है जबकि अभियुक्त इस बाबत सरलतापूर्वक अपना आशय साबित कर सकता है। व्यावहारिक विचारणाओं से भी उस मत की पुष्टि होती है जो हमने अपनाया है।

43. हमारे उपर्युक्त मत को दृष्टिगत करते हुए इस अपराध के

[1](1992) 4 एस० सी० सी० 662.

संघटक के रूप में आपराधिक मनःस्थिति की अपेक्षा, कानूनी अपराध की इस प्रकृति की यह पूर्ण दायित्व है कि क्या इस उपबंध में किसी अपवाद को पढ़ा जा सकता है और यदि ऐसा है तो किस प्रकार से संबंधित सुनवाई के समय दी गई विभिन्न दलीलों पर विचार करना अनावश्यक है। धारा 5 का जो अर्थान्वयन हमने किया है और जिस रीति में हमने टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए विचारण किए जाने वाले अभियुक्त को उपलब्ध अधिकार और प्रतिरक्षा की सीमा का परिशीलन किया है उसके प्रकाश में इन पहलुओं पर और आगे विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोजन संविवाद के उन बहुत से मुद्दों जिनकी बाबत बहस की गई है से मुक्त मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। इस कारण हमें अन्य दलीलों के ब्यौरों और इन विरोधी दलीलों का समर्थन करने के लिए बार के समक्ष उद्धृत विनिश्चयों के प्रति निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है।

टाडा अधिनियम की धारा 20 (4) (खख)

44. टाडा अधिनियम की धारा 20 में इसमें उपदर्शित दंड प्रक्रिया संहिता को उपांतरित रूप में लागू किया जाना विहित है। धारा 20 की उपधारा (4) का प्रभाव इसमें उपदर्शित उपांतरणों के अध्यधीन टाडा अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध से संबंधित किसी मामले के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 को लागू करना है। टाडा अधिनियम की धारा 20(4) द्वारा संहिता की धारा 167 में किए गए एक उपांतरण के अनुसार टाडा अधिनियम के अधीन किसी अपराध में अन्वेषण को 180 दिन की अवधि के भीतर आगे इस परंतुक के साथ कि अभिहित न्यायालय इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए सशक्त है यदि उसका लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जिसमें अन्वेषण की प्रगति और 180 दिन की उक्त अवधि से आगे अभियुक्त के निरोध के विनिर्दिष्ट कारण उपदर्शित हैं यह समाधान हो जाता है कि 180 दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा किया जाना संभव नहीं है पूरा किया जाना अपेक्षित है। इससे अभियुक्त को 180 दिन की उक्त अवधि या अनुज्ञात अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा किए जाने में व्यतिक्रम पर विस्तारित अवधि की समाप्ति पर जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार प्राप्त है।

45. उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में संक्षेप में यह निष्कर्ष दिया गया:—

> "निष्कर्षतः, हम इस बात को दोहराते हुए यह कहना चाहेंगे कि धारा 20(4) के अधीन जमानत की ईप्सा करने वाला अभियुक्त व्यक्ति अभियोजन के "व्यतिक्रम" के आधार पर जमानत मंजूर किए जाने के लिए न्यायालय में समावेदन करेगा और न्यायालय अभियुक्त को अपराध की गम्भीरता से या अभियोजन के पक्षकथन के गुणागुण से प्रभावित हुए बिना अभियोजक को नोटिस के उपरांत छोड़ देगा क्योंकि धारा 20(8) टाडा की धारा (20)4 के अधीन जमानत मंजूर किए जाने को नियंत्रित नहीं करती है और दोनों उपबंध पृथक् और स्वतंत्र क्षेत्रों में प्रवृत्त होते हैं। तथापि, लोक अभियोजक के लिए इस प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट फाइल करके खंड (खख) के अधीन विस्तारण की ईप्सा करके जमानत मंजूरी का विरोध करना अनुज्ञेय है। तथापि, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को खंड (खख) के अधीन विस्तारण की मंजूरी की प्रार्थना से संबंधित अपनी बात कहने के नोटिस के बिना किसी प्रकार का विस्तारण मंजूर नहीं किया जाएगा मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, यह बात तात्विक नहीं है कि क्या धारा 20(4) के अधीन "व्यतिक्रम"के आधार पर जमानत का आवेदन पहले फाइल किया जाना चाहिए या जैसाकि खंड (खख) द्वारा परिकल्पित है पहले **रिपोर्ट** लोक अभियोजक द्वारा फाइल की जानी चाहिए ताकि जमानत मंजूर या नामंजूर करते समय दोनों पर विचार किया जा सके। यदि धारा 20(4) के खंड (ख) द्वारा विहित अवधि समाप्त हो गई है और न्यायालय खंड (खख) के अधीन लोक अभियोजक द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट पर विस्तारण मंजूर नहीं करता है, तो न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देगा क्योंकि यह अभियुक्त का इस प्रकार छोड़े जाने का अजेय अधिकार है। जहां न्यायालय खंड (खख) के अधीन विस्तारण मंजूर कर देता है किंतु आरोपपत्र विस्तारित अवधि के भीतर फाइल न किया जाए, तो न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को यदि वह इसकी ईप्सा करता है और न्यायालय द्वारा यथानिर्दिष्ट जमानत प्रस्तुत करने के लिए तैयार है जमानत पर छोड़े जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा। तथापि खंड (खख) के अधीन अभिहित न्यायालय द्वारा लोक अभियोजक की रिपोर्ट के सिवाय किसी प्रकार का विस्तारण मंजूर नहीं किया जा सकता है और न ही खंड (खख) में विनिर्दिष्टतः दिए गए कारणों से विस्तारण मंजूर किया जा सकता है और इस खंड का अर्थान्वयन नियमनिष्ठ रूप में किया जाना चाहिए।" (जे॰टी॰ के पृष्ठ 280 का पैरा 28)

46. उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "अभिहित न्यायालय को किसी अभियुक्त को उसके जमानत पर छोड़े जाने के अजेय अधिकार से वंचित करने की कोई अधिकारिता नहीं है, यदि अभियोजन पक्ष विहित अवधि के भीतर चालान फाइल करने का व्यतिक्रम करता है और अभियुक्त न्यायालय द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में जमानत पत्र प्रस्तुत करे और ऐसा करने को तैयार हो।" और यह कि अभिहित न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अन्वेषण पूरा करने के लिए 180 दिन की विहित अवधि से आगे परंतुक के अधीन किसी प्रकार का विस्तारण मंजूर करने से पूर्व "नोटिस" दिया जाना आवश्यक है। याची के विद्वान काउंसेल श्री कपिल सिबल ने यह दलील दी कि अन्वेषण पूरा करने के लिए विस्तारण मंजूर करने से पूर्व उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले के विनिश्चय द्वारा अनुध्यात "नोटिस" की अपेक्षा न्यायालय के समक्ष अभियुक्त का मात्र प्रस्तुत किया जाना है, न कि अभियुक्त को विस्तारण की ईप्सा के विरुद्ध कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए उसे कारण बताते हुए लिखित नोटिस। विद्वान काउंसेल ने यह दलील दी कि उस समय जब विस्तारण की प्रार्थना लोक अभियोजक द्वारा की जाए और न्यायालय ऐसा विनिश्चय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की अपेक्षाओं के अनुसार करने के लिए इस पर विचार करे तो अभियुक्त का मात्र प्रस्तुत किया जाना नोटिस की मात्र अपेक्षा का उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले में खंड न्यायपीठ के विनिश्चय में परिशीलन किया जाना चाहिए। विद्वान काउंसेल की शिकायत यह है कि प्रायः अभियुक्त को लोक अभियोजक की अवधि विस्तारण की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा

[1] जे॰ टी॰ 1994 (4) एस॰ सी॰ 255=(1994) 4 एस॰ सी॰ सी॰ 602.

[1] जे॰ टी॰ 1994 (4) एस॰सी॰ 255=(1994) 4 एस॰ सी॰ सी॰ 602.

विचार किए जाने के समय उसके (न्यायालय) समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

47. दूसरे पहलू की बाबत श्री कपिल सिबल ने यह स्वीकार किया कि उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले में यथा अभिनिर्धारित अन्वेषण पूरा करने की 180 दिन की प्रारंभिक अवधि या धारा 20(4) (खख) द्वारा विहित विस्तारित अवधि की समाप्ति पर जमानत मंजूर किए जाने का अजेय अधिकार अभियुक्त का ऐसा अधिकार है जो कि चालान फाइल किए जाने तक लागू किया जा सकता है और उसके विरुद्ध न्यायालय में चालान फाइल किए जाने पर लागू किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। श्री सिबल ने यह निवेदन किया कि उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले में खंड न्यायपीठ के विनिश्चय का इस अभिप्राय में परिशीलन नहीं किया जा सकता कि यह अभियुक्त को यदि वह अभिरक्षा में है इस उपबंध के अधीन एक बार चालान फाइल किए जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का अजेय अधिकार प्रदान करता है। उसने यह दृढ़तापूर्वक कहा कि चालान फाइल किए जाने पर ऐसा अधिकार जो चालान फाइल किए जाने से पूर्व प्रोद्भूत हुआ महत्वपूर्ण नहीं है और चालान फाइल किए जाने पर किसी ऐसे अभियुक्त को जो अभिरक्षा में है जमानत मंजूर किए जाने के प्रश्न पर चालान फाइल किए जाने के उपरांत जमानत मंजूर किए जाने से संबंधित लागू होने वाले उपबंधों के प्रति निर्देश करके ही विचार किया जाना चाहिए और इसका विनिश्चय किया जाना चाहिए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 मात्र अन्वेषण की अवधि के लिए सुसंगत है।

48. उत्तर में विद्वान अपर महासालिसिटर ने श्री कपिल सिबल की उपर्युक्त दलील से पूर्णतः सहमति व्यक्त की और यह कहा कि उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले में खंड न्यायपीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का इस प्रकार का परिशीलन किया जाना चाहिए। तथापि, विद्वान अपर महासालिसिटर की शिकायत यह है कि उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले के तथ्यों के आधार पर खंड न्यायपीठ द्वारा जमानत मंजूर किए जाने का निदेश इस विनिश्चय के ऐसे परिशीलन के अनुरूप नहीं है और इससे यह उपदर्शित है कि अभियुक्त का अन्वेषण पूरा किए जाने के लिए अनुज्ञेय समय की समाप्ति पर जमानत पर छोड़े जाने का अजेय अधिकार बना रहता है और चालान फाइल किए जाने के उपरांत भी मामले के गुणागुण या चालान के साथ न्यायालय में प्रस्तुत सामग्री के प्रति निर्देश के बिना भी लागू किया जा सकता है। उसने आगे यह भी निवेदन किया कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले में मात्र इस आधार पर ही इस उपबंध के अधीन जमानत मंजूर किए जाने का निदेश चालान फाइल किए जाने के उपरांत गलत था। उसने यह निवेदन किया कि ऐसा स्पष्टीकरण इस कारण आवश्यक है क्योंकि उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[1] वाले मामले में के विनिश्चय का अर्थान्वयन अभिहित न्यायालयों द्वारा इस अर्थ में किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में अभियुक्त का जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार इस अर्थ में अजेय है कि यह बना रहता है और इसे चालान फाइल किए जाने के पश्चात् भी मामले के तथ्यों के प्रति निर्देश किए बिना लागू किया जा सकता है और न्यायालय को अभियुक्त को किसी भी समय यदि अनुज्ञेय अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा किए जाने में व्यतिक्रम किया जाता है जमानत नामंजूर करने की अधिकारिता प्राप्त है। ऐसे सभी मामलों में मात्र इसी कारण टाडा अधिनियम के अधीन प्रत्येक अभियुक्त द्वारा जमानत का दावा किया जा रहा है। अतः बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा इस प्रश्न के नए सिरे से विनिश्चय की ईप्सा करने का यह उपयुक्त अवसर है।

49. हमें इस बाबत कोई संदेह नहीं कि धारा 20(4) (खख) के कारण अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने के अजेय अधिकार की प्रकृति से संबंधित हमारे समक्ष अवस्थिति इस विनिश्चय में उपदर्शित सिद्धांत के सही परिशीलन पर आधारित है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को प्रोद्भूत अजेय अधिकार चालान फाइल किए जाने से पूर्व ही प्रवर्तनीय है और यदि इससे पहले लाभ नहीं उठाया गया है तो यह चालान फाइल किए जाने पर बना नहीं रहता है अथवा लागू नहीं रहता है। एक बार चालान फाइल किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने के प्रश्न का चालान फाइल किए जाने के पश्चात् किसी अभियुक्त को जमानत मंजूर किए जाने से संबंधित उपबंधों के अधीन मामले के तथ्यों के प्रति निर्देश करते हुए विनिश्चय किया जाना चाहिए। चालान फाइल किए जाने के उपरांत अभियुक्त का अभिरक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 द्वारा शासित न होकर विभिन्न उपबंधों द्वारा शासित होती है। यदि अभियुक्त को वह अधिकार प्रोद्भूत हुआ था किंतु इसे चालान फाइल किए जाने पर लागू नहीं किया गया, तब इसे इसके पश्चात् लागू किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह चालान फाइल किए जाते ही निर्वापित हो जाता है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 लागू नहीं रहती है खंड न्यायपीठ ने यह भी उपदर्शित किया कि यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने के लिए समावेदन किया जाता है और धारा 20(4) (खख) के परंतुक के अनुसार अन्वेषण पूरा करने के समय के विस्तारण की भी प्रार्थना की जाती है, तो इन दोनों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि ऐसे किसी मामले में उस समय तक किसी प्रकार की जमानत मंजूर नहीं की जा सकती है जब तक कि अवधि के विस्तारण की प्रार्थना नामंजूर नहीं कर दी जाती। संक्षेप में, ऐसी स्थिति में जमानत का मंजूर किया जाना समय विस्तारण की प्रार्थना यदि ऐसी प्रार्थना की जाती है के नामंजूर किए जाने के भी अध्यधीन है। यदि अभियुक्त यथास्थिति 180 दिन की अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर इस उपबंध के अधीन जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसे तत्काल जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त को गिरफ्तार करके दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार अभिरक्षा के सुपुर्द किया जा सकता है। संविधान न्यायपीठ के विनिश्चयों से यह स्थिर है कि प्रतिप्रेषण के विधिमान्य आदेश के अभाव में या अभियुक्त के निरोध के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट से संबंधित याचिका खारिज कर दी जाएगी यदि नियम के घोषित किए जाने की तारीख को अभिरक्षा या निरोध किसी विधिमान्य आदेश पर आधारित है। **निरंजन सिंह नाथवान** बनाम

---

1 जे० टी० 1994 (4) एस० सी० 255=(1994) 4 एस० सी० सी० 602.

पंजाब राज्य[1], **रामनारायण सिंह** बनाम **दिल्ली राज्य और अन्य**[2] और **ए० के० गोपालन** बनाम **भारत सरकार**[3] वाले मामले दृष्टव्य हैं।

50. ऐसी स्थिति में टाडा अधिनियम की धारा 20(4) (खख) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन अभियुक्त के जमानत पर छोड़े जाने के अधिकार की यह प्रकृति और क्षेत्र है। हम तदनुसार उपर्युक्त **हितेन्द्र विष्णु ठाकुर**[4] वाले मामले में खंड न्यायपीठ के विनिश्चय को स्पष्ट करते हैं और यदि इसमें किए गए अंतिम आदेश के कारण विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, तो हम खेद प्रकट करते हुए उनसे असहमति व्यक्त करते हैं।

टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8)

51. याची के विद्वान काउंसेल श्री कपिल सिबल ने यह निवेदन किया कि उपर्युक्त **करतार सिंह**[5] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के अर्थ और व्याप्ति को इस प्रकार व्यक्त किया गयाः—

> "अपर महासालिसिटर ने ठीक ही कहा कि धारा 20(8) (ख) के अधीन अधिरोपित शर्तें धारा 437 की उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) और इस धारा की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन विहित शर्तों के अनुरूप हैं।....अतः यह शर्त कि "यह विश्वास करने के आधार है कि वह किसी अपराध का दोषी नहीं है" और जो भिन्न रूप में अन्य अधिनियमों में यथा संहिता की धारा 437 (1) के खंड (i) में सम्मिलित है....संविधान के अनुच्छेद 21 के सिद्धांत की अतिलंघनकारी अयुक्तियुक्त शर्त नहीं कहीं जा सकती है।"
>
> (एस० सी० सी० का पृष्ठ 707)

52. उत्तर में विद्वान अपर महासालिसिटर ने यह निवेदन किया कि उपर्युक्त **करतार सिंह**[5] वाले मामले में सुनाया गया निर्णय स्पष्ट और असंदिग्ध है और इसलिए इस मामले में नए सिरे से विचार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

53. संविधान न्यायपीठ का उपरि उद्धृत निर्णय स्पष्ट है और इस पर हमें आगे प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह हम पर आबद्धकर है।

विनिर्णय

54. उपर्युक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम विधि के तीनों प्रश्नों का उत्तर जो हमारे विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए गए इस प्रकार देते हैं:—

(1) टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन में अभियोजन पक्ष से यह साबित करने की अपेक्षा की जाती है कि किसी अधिसूचित क्षेत्र में आयुध नियम, 1962 की अनुसूची के प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 3 (क) के स्तंभ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट कोई आयुध और गोलाबारूद या बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ "अप्राधिकृत रूप से" अभियुक्त के सचेत "कब्जे" में थे। अभियोजन पक्ष के लिए उपर्युक्त कानूनी उपधारणा को दृष्टिगत करते हुए किसी आतंकवादी या विध्वंसक क्रियाकलाप से आगे किसी प्रकार का संबंध साबित करना अपेक्षित नहीं है। अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में इन संघटकों में से किसी को भी गठित करने वाले किसी तथ्य के न होने को साबित करने का हकदार है। अपनी प्रतिरक्षा के रूप में वह साक्ष्य प्रस्तुत करके कानूनी उपधारणा का खंडन करने के लिए उपर्युक्त रूप में तीसरे संघटक को गठित करने वाले तथ्यों के न होने को साबित करने का हकदार है कि ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद आदि के अप्राधिकृत कब्जे से संबंधित उसके प्रयोजन का पूर्णतः किसी आतंकवादी या विध्वंसक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं था। यदि अभियुक्त उक्त तीसरे संघटक के न होने को साबित करने में सफल रहता है तब ऐसे किसी आयुध और गोलाबारूद आदि का मात्र अप्राधिकृत रूप से उसके कब्जे में पाया जाना टाडा अधिनियम की धारा 12 के कारण केवल सामान्य विधि के अधीन न कि टाडा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडनीय है।

(2) टाडा अधिनियम की धारा 20 (4) (खख) की मात्र यह अपेक्षा है कि अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (1) के अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और इस प्रकार टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के खण्ड (खख) के अगले परंतुक के अनुसार 180 दिन की विहित अवधि से आगे विस्तारण मंजूर किए जाने से पूर्व अभियुक्त को नोटिस की अपेक्षा उपर्युक्त हितेन्द्र विष्णु ठाकुर [(1994) 4 एस० सी० सी० 602.] वाले मामले में के निर्णय में समझी गई। अन्वेषण पूरा करने के लिए विस्तारण मंजूर करने से पूर्व अभियुक्त को ऐसा नोटिस कारण बताए जाने से संबंधित लिखित नोटिस नहीं है।

---

[1] [1952] एस० सी० आर० 395.

[2] [1953] एस० सी० आर० 652.

[3] [1966] 2 एस० सी० आर० 427.

[4] जे० टी० (1994) 4 एस० सी० सी० 255=(1994) 4 एस० सी० सी० 602.

[5] [1994] 3 उम० नि० प० 721=(1994) 3 एस० सी० सी० 569.

अभियुक्त को यह सूचित करते हुए कि अन्वेषण पूरा करने के लिए अवधि विस्तारण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है उसे उस समय न्यायालय में प्रस्तुत करना ही मात्र इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त है।

(2ख) जैसा कि उपर्युक्त हितेन्द्र विष्णु ठाकुर [(1994) 4 एस॰ सी॰ सी॰ 602] वाले मामले ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया अन्वेषण पूरा करने और अनुज्ञेय समय के भीतर चालान फाइल करने के व्यतिक्रम में टाडा अधिनियम की धारा 20 (4) (खख) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के अनुसार अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का "अजेय अधिकार" ऐसा अधिकार है जो लागू होता है और जो व्यतिक्रम के समय से चालान फाइल किए जाने तक अभियुक्त द्वारा लागू किया जा सकता है और यह चालान फाइल किए जाने पर बना नहीं रहता और न ही इसे लागू किया जा सकता है। यदि अभियुक्त, यथास्थिति, 180 दिन की अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर इस उपबंध के अधीन जमानत के लिए समावेदन करता है, तो उसे तत्काल जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार गिरफ्तार करके अभिरक्षा के सुपुर्द किया जा सकता है। अनुज्ञेय समय के भीतर चालान फाइल करने में व्यतिक्रम के होते हुए भी अभियुक्त का चालान फाइल किए जाने के पश्चात् जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार चालान फाइल किए जाने के समय से ही इस प्रक्रम पर लागू होने वाले जमानत मंजूर किए जाने से संबंधित उपबंधों द्वारा शासित है।

(3) उपर्युक्त करतार सिंह [(1994)3 उम॰ नि॰ प॰ 721/(1994)3 एस॰ सी॰ सी॰ 569] वाले मामले में टाडा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (8) के अभिप्राय और व्याप्ति से संबंधित उपरि उद्धृत संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए हमें इस प्रश्न पर आगे और प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है।

55. निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर उपर्युक्त रीति में दिया जाता है। अब इस मामले पर याची के गुणागुण के आधार पर जमानत मंजूर किए जाने के दावे के विनिश्चयार्थ किसी अन्य जमानत के मामले की भांति समुचित खण्ड न्यायपीठ द्वारा विचार किया जाएगा और इसका विनिश्चय किया जाएगा। हम तद्नुसार निदेश करते हैं।

याचिका का तद्नुसार निपटारा किया गया।

मदन

[1995]2 उम॰ नि॰ प॰ 264

वी॰ सुजाता

बनाम

केरल राज्य और अन्य

तथा

आर॰ विक्रमण

बनाम

केरल राज्य

तथा

वी॰ सुजाता

बनाम

केरल राज्य और अन्य

तथा

गोपालन नय्यर

बनाम

केरल राज्य

19 सितम्बर, 1994

न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी और न्यायमूर्ति के॰ जयचन्द्र रेड्डी

दण्ड संहिता, 1860 — धारा 279 और 337 — बस चालक द्वारा केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस मरम्मत के पश्चात् परीक्षण के तौर पर चलाने के लिए सड़क पर ले जाते हुए अनेक व्यक्तियों को क्षति कारित करना और अंततः एक वृक्ष से टकरा कर रुक जाना — दोषिता का सबूत — दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील — बस चालक की यह निश्चायक प्रतिरक्षा कि दुर्घटना ब्रेक फेल होने के कारण नियंत्रण के बाहर थी — ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के अनुसार दुर्घटना खड़ी बस से आगे निकल जाने के बस चालक के असावधानीपूर्वक किए गए प्रयत्न के कारण हुई — मोटरयान निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली सही थी और इसमें कोई यांत्रिक त्रुटि नहीं थी — तद्नुसार विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा बस चालक सिद्धदोष ठहराया जाना और दण्डादिष्ट किया जाना — अपील — मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्य का पुन-मूल्यांकन करके यह निष्कर्ष निकाला जाना कि मोटरयान निरीक्षक ने हाइड्रालिक ब्रेक प्रणाली चैक नहीं की थी और बस चालक के इस वृत्तांत पर विश्वास करना कि हाइड्रालिक ब्रेक प्रणाली कार्य नहीं कर रही थी—उच्च न्यायालय द्वारा दुर्घटना के शिकार व्यक्ति, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और मोटरयान निरीक्षक के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए दोषसिद्धि का आदेश उलट दिया जाना—उच्च न्यायालय द्वारा गुणागुण पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुविचारित निर्णय को उलट दिया जाना, त्रुटिपूर्ण था।